

## HEALTH ESTABLISHMENT-II

Subject: **Regarding uploading of notified Recruitment Rules in NDMC website.**

As desired, following RRs which were notified in Official Gazette and required to be uploaded in NDMC website.

S/No.	Gazette Notification No. with date	Details of Recruitment Rules
01	No.13(02)/2011/UD/MB/NDMC/4576, dated Delhi, the 11 <sup>th</sup> May 2011	Medical Officer of Health (MoH)
02	No.4/22/2001/UD/pt file-2/9522/1000, dated Delhi, the 30th May, 2007	GDMO Gr.II & Specialist Gr.II(Junior Scale)
03	F.No.4(22)/2001-UD/12810, dated Delhi the 4 <sup>th</sup> September 2002	Ayurvedic Physician
04	F.No.4(22)/2001/UD/11452, dated Delhi the 6 <sup>th</sup> August 2002	Homeopathic Physician

Encl.:As Above

  
(Hiranman Bara)  
Deputy Director(Health)

Jt. Director(IT)  
NDMC

U.O.No. 0-193 /SO(HE-II)/2022

Dated: 12/5/2022

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 2] दिल्ली, मई 6—मई 12, 2011, बुधवार/वैशाख 16—वैशाख 22, 1933  
No. 2] DELHI, MAY 6—MAY 12, 2011, THURSDAY/VAISAKHA 16—VAISAKHA 22, 1933

NITD No. 32

भाग—III  
PART—III

विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएं  
Notifications of Statutory Local Bodies

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2011

क्रमांक : 13(02)/2011/श.वि./नदिनपा/4576.— नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (1994 का 44) की धारा 43 के अन्तर्गत अपने संकल्प 11 (एच-01) दिनांक 21-4-2010 के द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के प्रामर्श से बनाये गये निम्नलिखित भर्ती विनियम जोकि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी के पद से सम्बन्धित हैं और जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 14011/30/2010 दिनांक 24-12-2010 के माध्यम से अनुमोदित हो चुके हैं उक्त अधिपत्र की धारा 387 की उप-धारा (2) के उपबन्धों के अनुसरण में एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में इसके साथ संलग्न अनुसूची में प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् :—

भर्ती विनियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ तिथि.—(1) ये विनियम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (2011) के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, पद के लिये भर्ती विनियम कहे जायेंगे।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इससे सम्बन्धित वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट रूप में होगा।

3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा अर्हता आदि.—उक्त पद के लिये भर्ती प्रक्रिया, आयु सीमा, अर्हतायें और इससे सम्बन्धित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में निर्दिष्टानुसार होंगे।

4. अनर्हता.—कोई व्यक्ति,—

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ दूसरा विवाह करता है या किसी अन्य से विवाह का अनुबन्ध करता है, जिसकी पत्नी/पति जीवित हो।

(ख) जो व्यक्ति, पत्नी/पति के जीवित होने पर दूसरा विवाह या विवाह का अनुबन्ध करता है; तो वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।



बशर्त नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति के लिये तथा विवाह के लिये अन्य पक्ष हेतु है। पर्सनल लॉ के कानून के अन्तर्गत अनुमेय है एवं ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो इस विनियम के प्रचालन से छूट दी जाए।

5. छूट का अधिकार—जहां न.दि.न.पा.परिषद्, नई दिल्ली का यह मत है कि इसे शीघ्रता से किया जाना आवश्यक है तो लिखित में कारणों का वर्णन करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी में छूट/शिथिलता प्रदान की जा सकती है।

6. अपवाद.—इन विनियमों में कुछ भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार प्रदान की जाने वाली अपेक्षित अन्य छूटों सहित आयु सीमा में शिथिलता तथा आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा।

पद कोड 4701010108

फाइल सं. 3/24एन(1)/2008-भर्ती नियम  
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के पद हेतु भर्ती विनियम  
मंत्रालय : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् विभाग : न.दि.न.पा.परिषद्

फा.सं. 13(02)/2011/श.वि./एम.बी./एनडीएमसी  
संस्थान का नाम : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	क्या चयनित या गैर चयनित पद है	क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी	*01 (2010) *कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील।	वर्ग 'क'	—	चयनित	लागू नहीं	लागू नहीं
सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं				क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी	परिक्षा अवधि, यदि कोई हो	
				(9)	(10)	
लागू नहीं				लागू नहीं	लागू नहीं	
भर्ती की प्रक्रिया क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता				यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती की जानी है, तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा		
				(11)	(12)	
पदोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर अल्प अवधि अनुबन्ध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा				पदोन्नति विशेषज्ञ श्रेणी 1 में वेतन सीमा-(पे बैण्ड-4) के वेतनमान 37400-67000 रु. 8700 के ग्रेड पे (पदक्रम वेतन) के साथ संवर्ग में 3 वर्षों की नियमित सेवा के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की किसी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार कोई जन स्वास्थ्य अर्हता अथवा समाज तथा रोग निवारक औषधि/सामुदायिक औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा धारण एवं स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 वर्षों का व्यावहारिक तथा प्रशासनिक अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 15 वर्षों का अनुभव के साथ पे बैण्ड-3 में 7600 रुपये के ग्रेड पे		

(12)

संभरण श्रेणी में वे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। किसी अन्य संस्थान/केन्द्रीय सरकार के विभाग या अपनी नियुक्ति वाले विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग (एक्स कैडर) पद पर प्रतिनियुक्ति अवधि (अल्प अवधि अनुबंध सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्प अवधि अनुबंध अवधि) सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए आयु आवेदन प्राप्ति की समापन तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन हेतु दिनांक 1-1-2006 (तिथि जिससे छठा केन्द्रीय वेतन आयोग पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है से पूर्व एक अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर अर्पित सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित बढ़े हुए पदक्रम वेतन/वेतनमान के समकक्ष दी गई सेवा समझी जाएगी, सिवाय जहाँ सामान्य पदक्रम वेतन/वेतनमान के साथ एक श्रेणी में एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमान का विलयन किया गया है तथा जहाँ यह लाभ केवल उस पद (पदों) के लिए बढ़ाया जाएगा जिसके ग्रेड पे/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हैं।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी गठन

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए

(13)

(14)

वर्ग "क" विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए विचारार्थ) :—

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी को नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य है।

1. स.लो.से.आ. का अध्यक्ष अथवा सदस्य

—अध्यक्ष

2. अध्यक्ष, न.दि.न.पा. परिषद्

—सदस्य

3. सचिव, न.दि.न.पा. परिषद्

—सदस्य

4. वित्तीय सलाहकार, न.दि.न.पा. परिषद्

—सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के उपराजपाल के नाम से एवं आदेश द्वारा, सुभाष चन्द्र, अतिरिक्त सचिव (शहरी विभाग)

### DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2011

No. 13(02)/2011/UD/MB/NDMC/4576.—The following recruitment regulations made by the New Delhi Municipal Council, New Delhi under Section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), vide their Resolution 11 (H-01) dtd.21-4-2010, with the consultation of the Union Public Services Commission relating to the post of Medical Officer of Health, New Delhi Municipal Council, New Delhi, having been approved by the Central Government vide Ministry of Home Affairs letter No. 14011/30/2010 Delhi-II dated 24-12-2010 in pursuance of the provisions of sub-section (2) of Section 387 of the said Act, are hereby published as below and in the Schedule annexed hereto, namely :—

#### RECRUITMENT REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Medical Officer of Health New Delhi Municipal Council, 2011. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.



(12)

के साथ 15600-39100 के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें पे बैंड-4 में 8700 रुपये के ग्रेड पे के साथ 37400-67000 रुपये के गैर-क्रियाशील चयन वेतनमान में अर्पित की हो तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की किसी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार किसी जन स्वास्थ्य अर्हता अथवा समाज तथा रोग निवारक औषधि/सामुदायिक औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रखता हो तथा स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 वर्षों का व्यवहारिक तथा प्रशासनिक अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 15 वर्षों का अनुभव हो।

टिप्पणी-1: पदोन्नति हेतु पात्रता सूची संबंधित संवर्ग/पद में विहित मान्य सेवा के अधिकारियों द्वारा निर्धारित मान्य सेवा पूर्ण करने की तिथि के संदर्भ के साथ तैयार की जाए।

टिप्पणी-2: जहाँ उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाना है, जिन्होंने अपनी-अपनी मान्य ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, उनके वरिष्ठ सहयोगियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा, बशर्ते उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठों की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से अधिक या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की अवधि की न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पदक्रम में अपने कनिष्ठों, जिन्होंने पूर्व में ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

टिप्पणी-3: पदोन्नति हेतु न्यूनतम मान्य सेवा की संगणना के प्रयोजन हेतु, दिनांक 1-1-2006 (तिथि जिसमें छठा केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित संशोधित वेतन संरचना को बढ़ाया गया है) से पूर्व, अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर दी गई सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित बढ़े हुए पदक्रम वेतन/वेतनमान के समकक्ष दी गई सेवा समझी जाएगी।

#### प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों/असरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा वैधानिक संस्थानों के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारीगण :

(ए) (i) पैतृक संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी; अथवा

(ii) पैतृक संवर्ग/विभाग में पे बैंड 4 में 8700 रुपये के ग्रेड पे के साथ 37400-67000 रुपये के वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद श्रेणी में अर्पित तीन वर्षों की सेवा अथवा समकक्ष : अथवा

(iii) पैतृक संवर्ग/विभाग में पे बैंड 3 में 7600 रुपये के ग्रेड पे के साथ 15600-39100 रुपये के वेतनमान के पद पर नियमित आधार पर इसकी नियुक्ति के बाद दी गई श्रेणी में आठ वर्षों की सेवा के साथ अथवा समकक्ष; तथा

(बी) निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव रखने वाले कर्मचारी :

(i) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय अनुसूची अथवा तृतीय अनुसूची के भाग-2; विश्वविद्यालय से सनद प्राप्तकर्ता के अतिरिक्त में सम्मिलित मान्य चिकित्सा अर्हता। अनुसूची 3 के भाग-दो में सम्मिलित शैक्षणिक योग्यता धारी द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 13 (की उपधारा-13) में उल्लेखित शर्तों को भी पूर्ण किया जाना चाहिए।

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की किसी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार कोई जनस्वास्थ्य अर्हता अथवा समाज तथा रोग निवारक औषधि/सामुदायिक औषधि में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

(iii) उपरोक्त (पप) में वर्णित अनुसार स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में दस वर्षों का व्यवहारिक एवं प्रशासनिक अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात् 15 वर्षों का अनुभव।

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualification—No person.**—(a) Who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person; Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the New Delhi Municipal Council, New Delhi may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, with prior approval of the Government, exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the New Delhi Municipal Council, New Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these Regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these Regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from scheduled time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Post Code : 4701010108

File No. 3/24N (1)/2908-RR

Recruitment Rules for the post of Medical Officer of Health  
Ministry of : NDMC Department of : N.D.M.C.

F. No. 13(02)/2011/UD/MB/NDMC/

Organisation Name : New Delhi Municipal Council

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Medical Officer of Health	*01	Group A	#	Selection	N.A.	N.A.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
NA.	NA.	NA.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which Promotion/Deputation/Absorption to be made
(11)	(12)

Promotion falling which by deputation including short term contract

#### Promotion :

Specialist Grade I in pay band-4 of pay scale of Rs. 37400-67000/- plus grade pay of Rs. 8700/- with 3 years regular service in the grade and possessing a post graduate degree or diploma in social and preventive Medicine/Community Medicine or any public health qualification specified in any of the schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 from a recognized University/Institute and having 10 years practical

1702 DG/11-2



(12)

and Administrative experience in the field of public health after obtaining post graduate degree or 15 years' experience after obtaining post graduate diploma and

Chief Medical Officer in Pay Band-4 of pay scale of Rs. 37400-67000 plus Grade Pay of Rs. 7600 with 8 years regular service in the Grade including service if any, rendered in the Non-Functional selection grade in PB-4 of pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700/- and possessing a Post Graduate degree or Diploma in Social and Preventive Medicine/Community Medicine or any public health qualification specified in any of the schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 from a recognized university/institute and having 10 years practical and administrative experience in the field of public health after obtaining post graduate degree or 15 years experience after obtaining post graduate diploma.

**Note 1 :** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.

**Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with qualifying/eligibility service.

**Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

**Deputation (ISTC):**

Officers under the Central/State Govts/Union territories/Universities/recognized research institutions/PSUs/recognized or autonomous or statutory organizations:

(a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; OR

(ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-4 of pay scale of Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700 or equivalent in the parent cadre/department; OR

(iii) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in pay band-3 of pay scale of Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600 or equivalent in the parent cadre/department; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience:

(i) A recognized Medical qualification included in the first or second schedule or part-II of the third schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in part-II of the third schedule should also fulfill the conditions stipulated in sub-section (3) of Section 13 of the Indian Medical Council Act, 1956;

(ii) Post Graduate Degree/Diploma in Social and Preventive Medicine/Community Medicine or any public health qualification specified in

(12)

any of the schedule to the Indian Medical Council Act, 1956 from a recognized University/Institution;

(iii) Ten years practical and Administrative Experience in the field of public health after obtaining post graduate degree or 15 years experience after obtaining post graduate diploma mentioned at (ii) above.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (ISTC) including period of deputation (ISTC) in another ex-cadre post held immediately proceeding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

Note : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006 (date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade Pay/Pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'A' DFC (For Considered promotion):--

1. Chairman or a member of UPSC
2. Chairperson, NDMC
3. Secretary, NDMC
4. Financial Advisor, NDMC

—Chairman  
—Member  
—Member  
—Member

Consultation with UPSC necessary while appointing an officer on deputation.

By Order and in the Name of the Hon'ble Lt. Governor of  
National Capital Territory of Delhi,

SUBHASH CHANDRA, Addl. Secy. (UD)





R.R. for Bio-Chemist, GDMO, & Specialists

रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन)-04/0009/2003-05

भारत सरकार

REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003-05

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 3 ] दिल्ली, मई 25—मई 31, 2007, बृहस्पतिवार/ज्येष्ठ 4, 1929—ज्येष्ठ 10, 1929 [ रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 57  
No. 3] DELHI, MAY 25—MAY 31, 2007, THURSDAY/JYAISTHA 4, 1929—JYAISTHA 10, 1929 [N.C.T.D. No. 57

भाग—III

PART—III

विधिक स्थानीय निकायों की अधिसूचनाएँ  
Notifications of Statutory Local Bodies

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 मई, 2007

सं. एफ. 4/22/2001/यूडी/एन.डी.एम.सी./भाग-2/9523/999.—नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा नई दिल्ली द्वारा परिषद् अधिनियम, 1994 को धारा 43 (वर्ष 1994 का 44) के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 3(23) दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के अनुसार एवं पत्र सं. एफ/3/24/एन/10/97-भर्ती नियम दिनांक 24 जून, 2000 के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में बायोकेमिस्ट के पद हेतु बनाये गये निम्नलिखित भर्ती विनियमों का गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 387 की उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसरण में पत्र संख्या यू. 14011/153/2000-दिल्ली-2, दिनांक 8 फरवरी, 2002 द्वारा अनुमोदन कर दिया है एवं उन्हें एतद्वारा निम्न प्रकार से एवं संलग्न सूची के अनुसार प्रकाशित किया जाता है :

भर्ती विनियम

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि.—(i) ये विनियम नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (2007) के बायोकेमिस्ट के पद के लिए भर्ती विनियम कहे जायेंगे।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान.— उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा इस पद के साथ सम्बद्ध वेतनमान, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 2 से 4 में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि.— उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं तथा इससे सम्बन्धित अन्य मामले उपरोक्त अनुसूची के कॉलम 6 से 13 में निर्दिष्टनुसार होंगे।



4. अनर्हताएं.- कोई भी ऐसा व्यक्ति-

- (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति/पत्नी जीवित हो, दूसरा विवाह कर ले अथवा विवाह के लिये अनुबद्ध हो जाये; अ  
(ख) जो अपनी पत्नी/पति के जीवित होते हुए किसी स्त्री/पुरुष के साथ दूसरा विवाह कर ले अथवा अनुबद्ध हो जाये.

उक्त पद पर नियुक्ति के लिये ग्राह्य/पात्र नहीं होगा।

बशर्ते नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उक्त विवाह अनुमत है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस विनियम की प्रक्रिया से दे सकती है।

5. छूट देने का अधिकार.- यदि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा समायोजित हो त अपने आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों की किसी श्रेणी वर्ग को इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में शिथिलता प्रदान कर सकती है।

6. किन्तु.- इन विनियमों की कोई भी व्यवस्था भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट अन्य दी जाने वाली रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुलग्न

[फाईल सं.-3/24 एन (10)/97-भर्ती फि

अनुसूची

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में 8,000-275-13,500 रुपये के बायो-कैमिस्ट के पद हेतु भर्ती विनियम

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	क्या चयन योग्यता अथवा सह वरिष्ठता द्वारा या गैर-चय पद है
1	2	3	4	5
1. बायो-कैमिस्ट (जीव रसायनज्ञ)	एक * (2000) *कर्मचारियों को कार्य- भार के आधार पर पदों की संख्या में घट- बढ़ की जा सकती है।	संवर्ग (क)	8,000-275-13,500 रु.	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिये आयु सीमा	क्या परिवर्धित अवधि का लाभ स्वीकार्य है	सीधे भर्ती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक व अन्य योग्यताएं
6	7	8
अधिकतम 35 वर्ष नोट 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली नगर-पालिका परिषद् के कर्मचारियों तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक छूट। नोट 2 : भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तिथि आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि होगी। (और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर का लद्दाख़ डिवीजन, लाहोल और स्पीती जिला और हिमाचल प्रदेश के चम्पा जिले का पांगी सब-डिवीजन, अण्डमान और निकोबार द्वीप	नहीं	अनिवार्य : 1. भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम की प्रथम या दूसरी अनुसूची अथवा अनु के भाग दो (प्रमाण-पत्रधारी अर्हता के अ में सम्मिलित मान्य चिकित्सा अर्हता। अ के भाग दो में सम्मिलित शैक्षणिक यो द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के अ 1956 की धारा 13(3) में उल्लेखित भी पूर्ण करता हो/ किया जाना चाहिए। अथवा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से जी अथवा रसायन-शास्त्र के साथ जिसमें ज एक विशेष विषय के रूप में हो,

6	7	8
तथा लक्षद्वीप में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि उनके लिए आयु निर्धारित करने की तिथि नहीं होगी।		2. किसी चिकित्सकीय महाविद्यालय या चिकित्सालय की जीव रसायन या रोग जन्य (व्याधि विज्ञान संबंधी) प्रयोगशाला में तीन वर्ष के अनुसंधान अथवा व्यवहारिक अनुभव वाले प्रत्याशी को वरीयता। नोट 1 : संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर में यथेष्ट रूप से सुयोग्य प्रत्याशियों के मामले में योग्यताएं शिथिलनीय हैं। नोट 2 : यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग को यह ज्ञात हो जाता है कि अनुसूचित जाति से संबंधित प्रत्याशियों के मामले में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये इन श्रेणियों में अपेक्षित योग्यता रखने वाले प्रत्याशियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो इस मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक से अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिलनीय हैं।

क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा एवं शैक्षणिक योग्यता लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति से या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
---	----------------------------	---

9	10	11
लागू नहीं	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) एवं इसके न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा

पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती करने की स्थिति में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाये	यदि विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान है तो उसका गठन	भर्ती के लिये किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाये
---	--	---

12	13	14
प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) : 1. केंद्रीय/राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों/विश्व-विद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्धसरकारी/वैधानिक अथवा स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारीगण। अ (1) नियमित आधार पर समान पद पर हो। या (2) 6,500-10,500 रुपये के अथवा समकक्ष वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा, (3) 5,500-9,000 रुपये अथवा समकक्ष वेतनमान में 8 वर्षों की नियमित सेवा (ब) कॉलम 8 के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखने वाले प्रत्याशी। (वर्तमान या किसी अन्य संस्थान	वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थाईकरण के लिये) 1. सचिव-न.दि.न.पा. परिषद् -अध्यक्ष 2. वित्तीय सलाहकार न.दि.न.पा. परिषद् -सदस्य 3. चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है।



केन्द्रीय सरकार के विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि सहित इस नियुक्ति से तत्काल इसी या पूर्व केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संस्थान/विभाग किसी अन्य संवर्ग में प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए)

## DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

### NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th May, 2007

**No. F. 4/22/2001/UD/NDMC/Pt. file-2/9523/999.**—The following Recruitment Regulations made by the New Delhi Municipal Council, under Section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) *vid* Resolution No. 3 (XX) dated the 26th May, 2000, with the consultation of the Union Public Service Commission *vid* letter No. F/3/24/N/(10)/97-RR dated the 24th January, 2000 in connection with the Recruitment Regulations for the post of Bio-Chemist, New Delhi Municipal Council, New Delhi, having been approved by the Central Government *vid* Ministry of Home Affairs letter No. U-14011/153/2000-Delhi-II dated the 8th February, 2002 in pursuance of the provision of sub-section (2) of Section 387 of the said Act, are hereby published in as annexed hereto :—

### RECRUITMENT REGULATIONS

1. **Short title and commencement.**—(i) These Regulations may be called the Recruitment Regulations for the post of Bio-Chemist, New Delhi Municipal Council, 2007.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these Regulations.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 6 to 13 of the schedule aforesaid.

4. **Disqualification :** Any person,—

(a) who has entered into or contracted a second marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a second marriage with any person ;

shall not be eligible for appointment to the said post :

Provided that the New Delhi Municipal Council, New Delhi may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulations.

5. **Power to relax.**—Where the New Delhi Municipal Council, New Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Recruitment Regulations for the Post of Bio-Chemist in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500 in  
New Delhi Municipal Council

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	Age limit for Direct recruitment
1	2	3	4	5	6
Bio-Chemist	One * (2000) *Subject to variation dependent on workload.	Category 'A'	Rs. 8000-275-13500	N. A.	Not exceeding 35 years <b>Note 1 :</b> Relaxable for Government servants and employees of N.D.M.C. upto 5 years in accordance with the instruction or orders issued by the Central Government. <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nikobar Islands or Lakshdweep).
Whether benefit of added years of service admissible	Educational and other qualifications required for direct recruitment		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8		9		10
No	<b>Essential :</b> (i) A recognized Medical qualification included in the First or the Second Schedule or Part-II of the Third Schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act, 1956. Holders of educational qualifications included in Part-II of the Third Schedule should also fulfill the conditions stipulated in Section 13(3) of the Indian Medical Council Act, 1956. OR A Master degree in Bio-chemistry or Chemistry with Bio-chemistry, as a special subject from a recognized University or equivalent.		N. A.		One year for direct recruits.

2625 D9/07-2



(ii) Three years research or practical experience in a Bio-Chemical or Pathological Laboratory preferably of Medical College or Hospital.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in the case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the post to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

11

12

Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

**Deputation (including short term contract) :**

1. Officers of the Central/State Government/Union Territories/University/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/Statutory or Autonomous Organizations.

(a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or

(ii) With five years regular service in the pay scale of Rs. 6500—10500 or equivalent; or

(iii) With eight years regular service in the pay scale of Rs. 5500—9000 or equivalent; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruit under Col. 8 (Period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of the application).

If a DPC exists, what is its composition

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

13

14

**Group 'A' DPC (for Confirmation) :**

1. Secretary, NDMC

—Chairman

2. Financial Advisor, NDMC

—Member

3. Medical Officer (Health)

—Member

Consultation with Union Public Service Commission is necessary.



दिल्ली, 30 मई, 2007

क्रम संख्या 4/22/2001/यू.डी./भाग-2/9522/1000.-

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के प्रस्ताव सं. 3(20) दिनांक 26-5-2000 के द्वारा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम 44) की धारा 43 की उपधारा (1) के परिच्छेद (ग) के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा एलोपैथिक चिकित्सक के पद पर भर्ती के लिए बनाये गये निम्नलिखित भर्ती विनियम जिन पर उक्त अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् उक्त अधिनियम की धारा 387 की उपधारा 2 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने क्रमांक यू./14011/153/2000 दिल्ली-1, दिनांक 8 फरवरी, 2002 के द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने पर, जो इसके साथ अनुसूची सं. 6 में संलग्न है, (अनुलग्नक-1) में प्रकाशित किये जाते हैं।

भर्ती विनियम :

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तिथि.—इन नियमों को नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एलोपैथी) भर्ती नियमावली, 2007 कहा जाये।  
ये नियम दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
2. परिभाषाएं.—इन नियमों में अपरिहार्य संदर्भ को छोड़कर निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—  
(क) 'आयोग' का अभिप्राय 'संघ लोक सेवा आयोग' से है।  
(ख) 'परिषद्' का अभिप्राय 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्' से है।  
(ग) 'नियंत्रण प्राधिकारी' का अभिप्राय 'अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्' से है।  
(घ) 'विभागीय पदोन्नति समिति' का अभिप्राय 'संवर्ग-क' पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिये अनुसूची 4 में निर्दिष्ट संवर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति से है।  
(ङ) 'कार्य परिपादन पद' का अभिप्राय कोई ऐसा पद, चाहें वह स्थाई है अथवा अस्थायी है।  
(च) 'एन.डी.एम.सी.' का अभिप्राय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से है।  
(छ) 'ग्रेड' का अभिप्राय अनुसूची-2 में निर्दिष्ट किसी भी संवर्ग (ग्रेड) (पद क्रम) से है।  
(ज) 'अनुसूची' का अभिप्राय इन नियमों (नियमावली) की अनुसूची से है।  
(झ) 'अनुसूचित जाति' और 'अनुसूचित जनजाति' का अभिप्राय वही है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के परिच्छेद (24) व (25) में क्रमशः वर्णित हैं।

(ज) 'उप-संवर्ग' का अभिप्राय किसी भी दो कार्य प्रणालियों यथा सामान्य ड्यूटी और गैर अध्यापन (शिक्षण) विशेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, से है।

3. गठन : सभी कार्य-परिपादन (ड्यूटी) पद संवर्ग 'क' के रूप में वर्गीकृत होंगे तथा पद क्रम (ग्रेड), वेतनमान (प्रैक्टिस बन्दी भत्ता) और उनसे जुड़े अन्य मामले अनुसूची-1 में वर्णित के अनुसार होंगे।
4. अधिकृत पद : (1) इन विनियमों के लागू होने की तिथि को विभिन्न पद क्रमों (ग्रेडों) में सम्मिलित अधिकृत कार्य परिपादन (ड्यूटी) पदों की संख्या अनुसूची-2 में निर्दिष्ट (उल्लेखित) अनुसार होगी।  
(2) इन विनियमों के लागू होने के पश्चात् विभिन्न पदक्रमों (ग्रेडों) में कार्य परिपादन पदों की अधिकृत/स्थायी संख्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जाने के अनुसार होगी।  
(3) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् यदि आवश्यक समझेगी तो समय-समय पर ड्यूटी (कार्य परिपादन) पदों की संख्या को अस्थायी रूप से कम अथवा अधिक कर सकती है।  
(4) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् 'आयोग' के परामर्श से अनुसूची-2 में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त किसी पद को सम्मिलित कर सकती है अथवा उक्त सूची में सम्मिलित किसी पद को हटा सकती है।  
(5) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् आयोग के परामर्श से किसी अधिकारी जिसका पद इस विनियम के उप-विनियम 4 के अंतर्गत सम्मिलित है, अस्थायी हैसियत या मूल हैसियत पर, जैसा भी उचित हो, को उपयुक्त संवर्ग (ग्रेड) में नियुक्त कर सकती है तथा समान (समरूप) पद क्रम (ग्रेड) में सतत नियमित सेवा को दृष्टिगत रखते हुए संवर्ग में उसकी वरीयता नियत कर सकती है।  
(6) गैर-क्रियाशील चयन ग्रेड.—सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद क्रम से प्रारम्भ होने वाले 15 प्रतिशत वरिष्ठ ड्यूटी पदों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर-क्रियाशील चयन ग्रेड) (रुपये 14300-18300) के पद में रूपांतरित कर दिया जाएगा।

टिप्पणी :

इस उप-विनियम के उद्देश्य के लिए वरिष्ठ ड्यूटी पदों का अभिप्राय सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी के वास्तविक पदधारियों की संख्या से है।



5. **प्रारंभिक विधान-नियम :** (1) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के स्वास्थ्य विभाग में इन विनियमों को लागू होने की तिथि या इससे पूर्व चिकित्सा अधिकारियों के सम्बर्ग 'क' के पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत सभी वर्तमान पदधारियों को संबंधित वेतनमानों में इन विनियमों के अंतर्गत नियुक्त किया गया माना जाए बशर्ते कि वे इन विनियमों की अनुसूची 5 के अंतर्गत अपेक्षित योग्यताएं पूर्ण करते हों।

(2) इन विनियमों के लागू होने से पूर्व, उप-विनियम (1) में वर्णित अधिकारियों की नियमित सतत् सेवा की परीक्षा के उद्देश्य व प्रोन्नति, स्थायीकरण एवं पेंशन के लिए मान्य सेवा हेतु गणना की जाएगी।

6. **भर्ती की पद्धति :** (1) संबंधित उप-संवर्गों में एवं संबंधित उप-संवर्गों में विशेषज्ञता पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए सेवा में सम्मिलित की गई तात्कालिक न्यूनतम पदक्रम या निम्नतम पदक्रमों में जैसा भी मामला हो, न्यूनतम मान्य सेवा सहित अनुसूची 3 में उल्लेखानुसार होगी।

(2) विभागीय पदोन्नति केवल संबंधित उप-संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेगी।

(3) यदि कोई अधिकारी किसी पद पर नियुक्त हुआ है, तथा उच्च पद पर पदोन्नति हेतु उसके नाम पर विचार किया जाता है तो इसके साथ ही संबंधित उप-संवर्ग के पदक्रम या उप-संवर्ग में संबंधित विशेषज्ञता में उससे वरिष्ठ सभी कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, की भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाए बशर्ते वे जितनी मान्य/पात्र सेवा आवश्यक है, उसकी आधे से अधिक सेवा या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम ना हो तथा उन्होंने निर्दिष्टानुसार अपनी-अपनी परीक्षा अवधि यदि कोई है, को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।

(4) (1) अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा और जहां कहीं आवश्यक हुआ तो इसके लिए अनुसूची 4 में वर्णनानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से किया जाएगा।

(2) (क) विभिन्न इयूटी पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, अनुभव तथा आयु-सीमा अनुसूची (5) में उल्लेख अनुसार होगी।

(ख) मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर योग्यता अनुसूची-6 में उल्लेखानुसार होगी।

**टिप्पणी :** (1) सामान्य इयूटी अधिकारी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा गैर-अध्यापन उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) विशेषज्ञ ग्रेड-II

(वरिष्ठ वेतनमान) और विशेषज्ञ ग्रेड-I के पद, पदोन्नति के उद्देश्य के लिए संबंधित उप-संवर्गों में अंतः परिवर्तनशील है।

**टिप्पणी:** (2) उपरोक्त वर्णित पदक्रमों (मूल नियुक्ति के ग्रेड को छोड़कर) में पदोन्नति का संबंध रिक्तियों में संयोजन के बिना होगी।

7. **प्रतिनियुक्ति द्वारा इयूटी पदों को भरना (अल्प अवधि अनुबंध सहित) :** विनियम 6 में उल्लेखित किसी मुद्दे के बावजूद जहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विचार से आवश्यक है या ऐसा किया जाना कार्य साधक है, तो लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए आयोग के परामर्श से सामान्य इयूटी उप-संवर्ग में चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के वेतनमान में तथा विशेषज्ञ उप-संवर्ग में विशेषज्ञ ग्रेड-II (कनिष्ठ वेतनमान) के पद को केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र में समकक्ष उपयुक्त पदधारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा और सांविधिक निकायों, स्वायत्त निकायों, अर्धसरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में समकक्ष पदधारियों में से अधिकतम पांच प्रतिशत इयूटी पदों को अल्प अवधि अनुबंध द्वारा भर सकता है। प्रतिनियुक्ति/अनुबंध की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, परंतु यदि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् उपयुक्त समझे तो इस अवधि को विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

इस विनियम के अधीन नौकरी के किसी (पदक्रम) ग्रेड में नियुक्ति के लिए अर्हता, अनुभव और मान्य/प्राप्त सेवा इन नियमों की अनुसूची-3 या अनुसूची-5 में निर्दिष्टानुसार होगी।

8. **वरिष्ठता :** 1. विनियम 5 में प्रारंभिक विधान-नियमों के समय संबंधित उप-संवर्ग में नियुक्त 'क' श्रेणी के अधिकारियों की प्रासंगिक वरिष्ठता इन विनियमों के लागू होने की तिथि को प्राप्त सूची के अनुसार होगी। बशर्ते, श्रेणी 'क' के किसी अधिकारी की वरिष्ठता उक्त तिथि तक विशेष कर निर्धारित नहीं की गई है तो इसका निर्धारण वरिष्ठता निर्धारित करने के उन विनियमों के अनुसार किया जाए, जैसा कि इन विनियमों के लागू होने से पूर्व था।

2. जिन अधिकारियों की नियुक्ति विनियम-5 के अनुसार नहीं हुई है, उनकी वरिष्ठता सरकार द्वारा समय-समय पर जारी सामान्य अनुदेशों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

3. जिन कर्मचारियों की नियुक्ति विनियम-4 के उप-विनियम (5) के अंतर्गत हुई है उनकी वरिष्ठता उन्हीं में प्रद पद्धति के अनुसार निर्धारित की जाएगी।



69

4. जो मामले उक्त प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते, उनकी वरिष्ठता नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा आयोग के परामर्श से निर्धारित की जाएगी।

9. **परिवीक्षा :** 1. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष होगी जबकि 8000-13500 रुपये वेतनमान में नियुक्त चिकित्सा अधिकारी के मामले में परिवीक्षा अवधि दो वर्ष होगी।

बशर्ते इस संबंध में नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है।

पुनः यह भी प्रावधान रखा गया है कि किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि के संबंध में निर्णय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद एवं सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लेना होगा तथा उक्त अवधि में ऐसा करने का कारणों सहित उल्लेख करते हुए लिखित में संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी।

2. परिवीक्षा या इस हेतु बढ़ाई गई अवधि के पूर्ण होने पर यदि अधिकारी को स्थाई नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो उसे सरकार के वर्तमान आदेशों के अनुसार स्थाई किया जाए।

3. यदि किसी अधिकारी की परिवीक्षा अवधि या इस संबंध में बढ़ाई गई अवधि के दौरान नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का यह मत है, कि अधिकारी स्थाई नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् इन विनियमों के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, उस अधिकारी को भारमुक्त या इस ग्रेड में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर वापिस भेज सकती है।

4. परिवीक्षा अवधि या इस अवधि में वृद्धि के दौरान यदि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा उपयुक्त समझा जाता है तो परिवीक्षा अवधि के संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के लिए, कि अधिकारियों को प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम प्राप्त करना या ऐसी परीक्षा पास करना आवश्यक है तो अधिकारियों द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित होगा।

5. परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों में अधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

10. **सेवा में नियुक्ति :**—संबंधित उप-संवर्ग में सभी नियुक्तियां नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

11. **नियुक्ति स्थल :** संबंधित उप-संवर्ग में नियुक्त अधिकारीगण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के

क्षेत्राधिकार में किसी भी स्थान पर कार्य परिपादन (ड्यूटी) हेतु बाध्य होंगे।

12. **निजी प्रैक्टिस वर्जित :** 1. संबंधित पदक्रम या उप-संवर्ग में नियुक्त कर्मियों को किसी प्रकार के परामर्श एवं प्रयोगशाला व्यवसाय सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. यद्यपि ऐसे कर्मचारी अनुसूची-1 में निर्दिष्ट (उल्लेखित) दरों पर प्रैक्टिसबंदी भत्ते के हकदार होंगे।

13. **पेंशन एवं अन्य शर्तें :** इन विनियमों में सेवा बशर्ते सुव्यक्त न किया गया हो, सेवा की शर्तें आवश्यक परिवर्तन के साथ इन दो उप-संवर्गों के संबंध में परिषद् द्वारा जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के अधिकारियों पर सामान्यतः लागू अनुसार होगी।

14. **अयोग्यता :** कोई व्यक्ति (क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति/पत्नी जीवित हो, दूसरा विवाह कर ले अथवा विवाह के लिए अनुबंध हो जाये, अथवा

(ख) जो अपनी पत्नी/पति या जीवित होते हुए किसी स्त्री/पुरुष के साथ दूसरा विवाह कर ले अथवा अनुबंध हो जाये, सेवा में नियुक्ति हेतु ग्राह्य (पात्र) नहीं होगा।

बशर्ते नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्, यदि इस बात से संतुष्ट है, कि ऐसा विवाह उन व्यक्तियों तथा विवाह के दूसरी पार्टी पर लागू व्यक्तिक विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत स्वीकार्य है तथा ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो ऐसे व्यक्तियों पर इस नियम के अधीन कार्यवाही करने की छूट दे सकती है।

15. **छूट का अधिकार.**—जहां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विचार में ऐसा करना आवश्यक अथवा कार्य साधक हो, तो वह अपने आदेश द्वारा लिखित रूप में कारण बताते हुए और संध लोक सेवा आयोग के परामर्श से व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा श्रेणी को इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी में भी (शिथिलता) छूट प्रदान कर सकती है।

16. **बचाव.**—इन नियमों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों की विशेष श्रेणियों के लिए इस संवर्ग में, केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

17. **व्याख्या :** इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित यदि कोई प्रश्न उत्पन्न है तो उसका निर्णय परिषद् द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची-1

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् एलोपैथिक भर्ती विनियम-  
2007 वर्ग 'क' पदों के पदक्रम, वेतनमान आदि

1. वर्ग/श्रेणी (पदक्रम) एवं वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी (पदक्रम)	वेतनमान (रुपये में)
1.	2.	3.

विशेषज्ञ उप-संवर्ग

1. विशेषज्ञ श्रेणी

(अ) विशेषज्ञ श्रेणी-I	14300-400-18300
(ब) विशेषज्ञ श्रेणी-II (वरिष्ठ वेतनमान)	12000-375-16500
(स) विशेषज्ञ श्रेणी-II (कनिष्ठ वेतनमान)	10000-325-15200

2. सामान्य इयूटी उप-संवर्ग

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन. एफ. एस. जी.)	14300-400-18300
2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	12000-375-16500
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	10000-325-15200
4. सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी	8000-275-13500

2. प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरें :

मूल वेतन का 25 प्रतिशत बराबर वेतन एवं प्रैक्टिसबंदी भत्ता की कुल राशि 29,500 रुपये से अधिक नहीं होगी।

3. स्नातकोत्तर भत्ता :

चिकित्सा अधिकारी या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी या मु.चि. अधि. (एन.एफ.एस.सी.) सहित मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त एक चिकित्सा स्नातक जिसके लिए मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता रखना अनिवार्य नहीं है, को संबंधित वेतनमान में देय वेतन के अतिरिक्त क्रमशः मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर डिग्री रखने वाले नियुक्त कर्मचारी को जैसा भी मामला हो, 300 रुपये या 500 रुपये प्रतिमास स्नातकोत्तर भत्ता क्रमानुसार दिया जाएगा, जैसा कि 'केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 1982 की अनुसूची 1 की मद संख्या 3 तथा का.ज्ञा.सं. ए-45011/4/75 सी.एच.एस.-III दिनांक 16 अक्टूबर 1985, का.ज्ञा.सं. ए-45012/1/8/सी.एच.एस.-V दिनांक 24 अगस्त 1987 तथा का.ज्ञा.सं. ए-45012/13/97-सी.एच.एस.-V दिनांक 5 अक्टूबर, 1998 में क्रमशः उल्लेखित है।

अनुसूची-II

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में चिकित्सा अधिकारियों/  
विशेषज्ञों की अधिकृत पद संख्या

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
1.	2.	3.

1. सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी	94 (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) (अक्रिया-शील चयन वेतनमान) (एन.एफ.एस.जी.) सहित वरिष्ठ इयूटी पदों की कुल संख्या का अधिकतम 15 प्रतिशत
---	--

2. विशेषज्ञ संवर्ग

विशेषज्ञ श्रेणी-I/विशेषज्ञ श्रेणी-II	23
* पैथोलॉजी (विकृति विज्ञान)	
* कार्डियोलॉजी (हृदय रोग)	
* पैडिएट्रिक्स (बाल रोग)	
* आर्थोपेडिक्स (अस्थि रोग)	
* ई. एन. टी. (कान, नाक, गला रोग)	
* अनेस्थेसियोलॉजी (निश्चेतन शास्त्र)	
* गाइनीकोलॉजी (स्त्री रोग)	
* चैस्ट एवं टी.बी. (छाती एवं तपेदिक रोग)	
* ऑपथलमोलॉजी (नेत्र रोग)	
* रेडियोडायग्नोसिस (विकिरण निदान)	
* जनरल सर्जरी (सामान्य शल्य चिकित्सा)	
* जनरल मेडिसिन (सामान्य औषधि)	
* एपीडेमियोलॉजी (महामारी विज्ञान/संक्रामक रोग विज्ञान)	

टिप्पणी :

पदों की संख्या कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय होगी।



(68)

## अनुसूची-III

वर्ग 'क' इयूटी पदों पर अधिकारियों की पदोन्नति या नियुक्ति हेतु तत्काल न्यूनतम संवर्ग या न्यूनतम संवर्गों में न्यूनतम मान्य सेवा सहित भर्ती की पद्धति व पदोन्नति हेतु चयन क्षेत्र

क्र. सं.	पद का नाम	क्या चयन योग्यता अथवा चयन एवं वरीयता से अथवा गैर-चयनित पद है	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4

## विशेषज्ञ उप-संवर्ग

1.	विशेषज्ञ ग्रेड-1 (प्रथम श्रेणी) रु. 14300-400-18300	रिक्तियों को सम्बद्ध किए बिना गैर-चयनित आधार पर पदोन्नति द्वारा	12000-16500 रुपये के वेतनमान में 6 वर्षों की सेवा के साथ विशेषज्ञ ग्रेड-II अथवा 10000-15200 तथा 12000-16500 रुपये के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-II के रूप में 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा जिसमें से 12000-16500 रुपये के वेतनमान में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो।
2.	विशेषज्ञ ग्रेड-2 (द्वितीय श्रेणी) रु. 12000-16500	पदोन्नति द्वारा	10000-15200 रुपये के वेतनमान में विशेषज्ञ ग्रेड-II तथा इस ग्रेड में 2 वर्ष की नियमित सेवा।
3.	विशेषज्ञ ग्रेड-2 (द्वितीय श्रेणी) (कनिष्ठ वेतनमान) रु. 10000-15200	सीधी भर्ती द्वारा	अनुसूची-5 के अनुसार

## सामान्य इयूटी उप-संवर्ग

1.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एन.एफ.एस.जी.) रु. 14300-18300	पदोन्नति द्वारा	सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी उपसंवर्ग के वरिष्ठ इयूटी पदों की संयुक्त पद संख्या के अधिकतम 15 प्रतिशत तक संवर्ग 'क' में 14 वर्षों की नियमित सेवा सहित 12000-16500 रुपये के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा।
2.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी रु. 12000-16500	रिक्तियों को संबद्ध किए बिना वरि. सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर 6 वर्ष की नियमित सेवा अथवा सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में 10 वर्षों की नियमित सेवा जिसमें कम से कम 2 वर्ष तक वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर रहे हों।
3.	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी रु. 10000-15200	रिक्तियों को संबद्ध किए बिना वरि. सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा	रु. वेतनमान में 8000-13500 में चार वर्षों की नियमित सेवा सहित सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी।
4.	सामान्य इयूटी चिकित्सा अधिकारी रु. 8000-13500	सीधी भर्ती द्वारा	संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा के माध्यम से।

अनुसूची-IV

न.दि.न.पा. परिषद् में वर्ग 'क' पद में पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार करने के लिए वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :-

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए)

क्रम सं.

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
2. सचिव, न.दि.न.पा. परिषद्
3. वित्तीय सलाहकार, न.दि.न.पा. परिषद्
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक  
(चरक पालिका अस्पताल)

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

—सदस्य

(स्थायीकरण के लिए)

क्रम सं.

1. सचिव, न.दि.न.पा. परिषद्
2. वित्तीय सलाहकार, न.दि.न.पा. परिषद्
3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक  
(चरक पालिका अस्पताल)
4. निदेशक (कार्मिक), न.दि.न.पा. परिषद्

—अध्यक्ष

—सदस्य

—सदस्य

—सदस्य

अनुसूची-V

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथी) के वर्ग 'क' पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं अनुभव एवं आयु सीमा :

क्र.सं.	पद का नाम	पद्धति	आयु	शैक्षणिक और अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1	2	3	4	5
1.	विशेषज्ञ ग्रेड-II (10000-15200 रु.)	सीधी भर्ती	अधिकतम 45 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप सरकारी कर्म-चारियों के लिए 5 वर्षों की छूट और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्षों की तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 3 वर्षों की छूट।	(अ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग 2 (प्रमाणपत्र धारी अर्हताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं। अनुसूची 3 के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रत्याशी को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो। (ब) अनुसूची 6 में उल्लेखित संबंधित विशिष्टता में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा अथवा समकक्ष। (स) स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद संबंधित विशिष्टता में 3 वर्षों का अनुभव अथवा स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद 5 वर्षों का अनुभव।



-15-

67

1	2	3	4	5
2.	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा ग्रेड-II 8000-13500 रु.	सीधी भर्ती	अधिकतम 30 वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्षों की तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 3 वर्षों की छूट।	<p>(अ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की प्रथम या द्वितीय या तृतीय अनुसूची के भाग 2 (प्रमाणपत्रधारी अर्हताओं के अतिरिक्त) में सम्मिलित मान्यताप्राप्त चिकित्सा अर्हताएं। अनुसूची 3 के भाग 2 में सम्मिलित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रत्याशी को भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा (13) की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो।</p> <p>(ब) प्रत्याशियों द्वारा अनिवार्य चक्र-क्रम इन्टरशिप पूरी की गई है। जिन प्रत्याशियों ने चक्र-क्रम इन्टरशिप पूरी नहीं की वे लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के पात्र होंगे बशर्ते यदि उनका चयन होता है तो उन्हें नियुक्ति से पूर्व संतोषजनक रूप से अनिवार्य इन्टरशिप पूरी करनी होगी।</p> <p>नोट : 1. भारत में अभ्यर्थियों की आयु-सीमा का निर्धारण आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि के अनुसार होगा। और आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीती जिला, चम्बा जिले का पांग उपप्रभाग (सब-डिवीजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए अंतिम तिथि नहीं होगी।)</p>

नोट :

- संघ लोक सेवा आयोग के विवेक अधिकार में यथेष्ट रूप से सुयोग्य अभ्यर्थियों की योग्यताएं शिथिलनीय हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकाधिकार में अनुभव से संबंधित योग्यता (योग्यताएं) शिथिलनीय हैं, यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि इन समुदायों से इनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
- चिकित्सा अधिकारी के पद पर लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा भर्ती करने के मामले में आयु सीमा की गणना हेतु निर्धारित तिथि परीक्षा वाले वर्ष की पहली जनवरी होगी।

टिप्पणी 5 : संयुक्त राज्य (ब्रिटेन) में दिनांक 11-11-1978 को या इससे पूर्व प्राप्त चिकित्सा अर्हता ही मान्य प्राप्त चिकित्सा अर्हता होगी।

#### अनुसूची-VI

क्र.सं.	विषय	भाग 'क' अपेक्षित स्नातकोत्तर डिग्री योग्यता	भाग 'ख' अपेक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमा योग्यता
1	2	3	4
1.	रोग-विज्ञान (पैथोलॉजी)	एम.डी. (रोग विज्ञान) या एम.डी. (रोग विज्ञान तथा जीवाणु विज्ञान) या एम.डी. (जीवाणु विज्ञान सहित रोग विज्ञान) या एम.एस.सी. (चिकित्सा रोग विज्ञान) या पी.एच.डी. (रोग विज्ञान), डी.एस.सी. (रोग विज्ञान) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ पैथोलॉजी (संयुक्त राज्य अमेरिका)	(डी.सी.पी.) (डी.पी.वी)

2625 DG/07-4

1	2	3	4
2.	कार्डियोलॉजी (हृदय विज्ञान)	डी.एम. (हृदय विज्ञान)	बाल रोग चिकित्सा में डिप्लोमा/
3.	पीडिएट्रिक्स (बाल रोग चिकित्सा)	एम.डी. (बाल रोग चिकित्सा)	डी.सी.एच.
4.	अस्थि रोग	एम.एस. (अस्थि रोग) एम.सी.एच. (अस्थि रोग) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी (सं. रा. अमेरिका)	अस्थि रोग विज्ञान में डिप्लोमा
5.	ई.एन.टी. (नाक-कान-गला)	एम.एस. (कान, नाक, कंठ-विज्ञानी) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ लैरिनोलॉजी (कण्ठ विज्ञान) (सं. रा. अमेरिका)	डी.आई.ओ. डी. ओ.आर.एल. (कान, नासिका-कंठ नलिका में डिप्लोमा)
6.	एनेस्थीसिऑलॉजी (निश्चेतन विज्ञान)	एम.डी. (निश्चेतन विज्ञान) एम.एस. (निश्चेतन विज्ञान) डी.ए. (दो वर्ष का पाठ्यक्रम) एफ.एफ.ए.आर.सी.एस. (परीक्षा द्वारा) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ एनेस्थीजियोलॉजी (सं. रा. अमेरिका)	निश्चेतन विज्ञान में डिप्लोमा
7.	गायनाकालॉजी (स्त्री रोग विज्ञान)	एम.डी. (प्रसूती व स्त्री रोग) एम.एस. (प्रसूती व स्त्री रोग) एम.डी. (मिड व स्त्री रोग विज्ञान) एम.एस. (मिड व स्त्री रोग विज्ञान) चिकित्सा अधिकारी, एम.आर.सी. ओ.जी. स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ आब्स्टेट्रिक एंड गायनीकॉलॉजिकल (सं. रा. अमेरिका)	स्त्री रोग एवं प्रसूती विज्ञान में डिप्लोमा
8.	ट्यूबरकुलोसिस (क्षय रोग)	एम.डी. (क्षय रोग) टी.डी.डी., डी.टी.डी. या डी.टी.सी.डी. सहित औषधी में एम.डी./एम.आर.सी.पी.	टी.डी.डी., डी.टी.डी., डी.टी.सी.डी. नेत्र विज्ञान में डिप्लोमा
9.	आप्टामोलॉजी (नेत्र विज्ञान)	एम.एस. (नेत्र विज्ञान) एम.डी. (नेत्र विज्ञान) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ आप्टामोलॉजी (संयुक्त राज्य अमेरिका)	डी.ओ.एम.एस.
10.	रेडियो-डायग्नोसिस (नैदानिक विकिरण विज्ञान)	एम.डी. (विकिरण विज्ञान) या डी.एम.आर.डी. या दो वर्ष का समकक्षीय डिप्लोमा नोट : जिन प्रत्याशियों ने 1985 से पूर्व विकिरण विज्ञान में डिप्लोमा या एम.डी. कर ली है वे विकिरण विज्ञानी पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।	डी.एम.आर.डी. या एक वर्ष का समकक्षीय डिप्लोमा
11.	सामान्य शल्य चिकित्सा	एम.एस. (शल्य चिकित्सा) एम.एस. (सामान्य शल्य चिकित्सा) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ सर्जरी (सं. रा. अमेरिका) एफ.आर.सी.एस.	
12.	सामान्य मेडिसिन	एम.डी. (सामान्य) एम.डी. (सामान्य मेडिसिन) एम.डी. (मेडिसिन एवं रोग चिकित्सा विज्ञान) एम.आर.सी.पी. स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन (सं. रा. अमेरिका)	
13.	एपीडेमोलॉजी (महामारी विज्ञान)	एम.डी. (प्रतिरोधक व सोशल मेडिसिन) या एम.डी. (कम्युनिटी मेडिसिन) स्पेशलिटी बोर्ड ऑफ प्रीवेंटिव मेडिसिन (प्रतिरोधक दवा) (सं. रा. अमेरिका)	डी.पी.एच., डी.आई.एच., एम.पी.एच., डी.आई.एम., डी.टी.एम. एंड एच.

नोट 1 : संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेशलिटी बोर्ड का योग्यताधारी को संबंधित बोर्ड की पूर्ण अपेक्षाओं को पूरा किया जाना चाहिए।

नोट 2 : जहां तक भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त स्नातकोत्तर चिकित्सा योग्यता प्रदान करने का संबंध है उन विश्वविद्यालयों का समय-समय पर संशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 के अनुसूची में नाम होना चाहिए।

नोट 3 : भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना संख्या 5-11015/12/78-एम ई (नीति) दिनांक 29-8-1978 के अनुसार इंग्लैंड जब वह दिनांक 11 नवम्बर, 1978 को या उससे पूर्व प्रदत्त में प्रदान अर्हता भी मान्यताप्राप्त चिकित्सा योग्यता होगी।

नोट 4 : भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा समय-समय पर स्वीकृत स्नातकोत्तर अर्हताओं के समकक्ष योग्यताधारक को संबंधित विषय में अपेक्षित स्नातकोत्तर अर्हता धारक माना जाएगा।

नोट 5 : यह सूची संपूर्ण नहीं है। नियंत्रण प्राधिकारी को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अन्य योग्यताएं निर्धारित करने का अधिकार होगा।

आदेशानुसार  
मनोज कुमार अग्रवाल, उप-सचिव



Delhi, the 30th May, 2007

**No. 4/22/2001/UD/ pt file-2/9522/1000.**—The following recruitment regulations made by the New Delhi Municipal Council, under clause (c) of sub-section (1) of Section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994), *vide* its Resolution No. 3(XX) dated the 26th May, 2000 and after consultation with the Union Public Service Commission as required under sub-section (2) of Section 43 of the said Act, in connection with recruitment to the post of Allopathic Doctors in the New Delhi Municipal Council, New Delhi having been approved by the Government of India, Ministry of Home Affairs, *vide* their letter No.U-14011/153/2000-Delhi-I dated the 8th February, 2002 under the provision of sub-section (2) of Section 387 of the said Act, are hereby published as annexed hereto :—

**RECRUITMENT REGULATIONS :**

1. **Short title and commencement.**— These rules may be called New Delhi Municipal Council (Allopathy) Recruitment Regulations, 2007.

They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;
- (b) "Council" means the New Delhi Municipal Council;
- (c) "Controlling Authority" means the Chairperson of the Council;
- (d) "Departmental Promotion Committee" means Category 'A' Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in category 'A' posts;
- (e) "Duty Post" means any post, whether permanent or temporary;
- (f) "NDMC" means New Delhi Municipal Council;
- (g) "Grade" means any of the grades specified in Schedule-II.
- (h) "Schedule" means a Schedule to these regulations;
- (i) "Schedule Castes" and "Schedule Tribes" have the same meaning as in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

- (j) "Sub-cadre" means any of the two streams, namely. General Duty and Non-Teaching Specialist, as the case may be.

3. **Composition.**—All Duty Posts shall be classified as Category 'A' and the grades, scales of pay (Non- practicing Allowances) and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

4. **Authorized Strength.**—(1) The authorized strength of the Duty Posts included in the various Grades on the date of commencement of these regulation shall be as specified in Schedule -II.

- (2) After the commencement of these regulations, the authorized permanent strength of the Duty Posts in various Grades shall be such as may, from time to time, be determined by the NDMC.

- (3) The NDMC may make temporary additions to, or reductions in, the strength of the Duty Posts in the various Grades as deemed, necessary from time to time.

- (4) The NDMC may, in consultation with the Commission, include any posts other than those included in Schedule-II or exclude a post included in the said Schedule.

- (5) The Council may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included under sub-regulation (4) of this regulation, to the appropriate Grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as may be deemed fit, and fix his seniority in the Grade after taking into account continuous regular service in the analogous Grade.

- (6) **Non- Functional Selection Grade :** In the General Duty sub-cadre, 15% of Senior duty posts starting from the grade of Senior Medical Officer and Chief Medical Officer shall be converted to the post of Chief Medical Officer (Non- functional Selection Grade) (Rs. 14300-18300).

**Note:** Senior Duty Posts for the purpose of this sub-regulation means the number of persons actually holding the posts of Senior Medical Officer and Chief Medical Officer in General Duty Medical Officer sub-cadre.

5. **Initial Constitution.**—(1) All the existing officers holding category 'A' posts of Medical Officers of the Medical Department, NDMC on regular basis on or before the date of commencement of these regulations shall be deemed to have been appointed under these regulations in the respective grades, provided that they possess



requisite qualification detailed under Schedule-V of these regulations.

- (2) The regular continuous service of officers referred to in sub-regulation (1) before the commencement of these regulations shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

**6. Method of Recruitment.**—(1) The method of recruitment, the field of selection for promotion, including the minimum qualifying service in the immediate lower grade, or lower grades, as the case may be, for appointment or promotion to the posts in the respective sub-cadres and specialities within the sub-cadre concerned, included in the Service shall be as specified in Schedule -III.

- (2) Departmental Promotion shall be confined to officers of the respective sub-cadres.

- (3) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to a higher post, all persons senior to him in the grade of the respective sub-cadre or in the respective speciality of the sub-cadre, as the case may be, shall also be considered provided that they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period, if any, prescribed.

- (4) (i) The selection of officers shall be made in consultation with the Commission and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

- (ii) (a) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment to various duty posts by direct recruitment shall be as specified in Schedule -V.

- (b) The recognized post-graduate qualifications shall be as specified in Schedule-VI.

**Note 1:** The posts of Medical Officer, Senior Medical Officers and Chief Medical Officer, in the General Duty Officer, sub-cadre and the posts of Specialists Grade-II (Junior Scale), Specialist Grade II (Senior Scale) and Specialist Grade-I in the Non-teaching sub-cadre, are interchangeable within the respective sub-cadres, for the purpose of promotion.

**Note 2:** Promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above, shall be without linkage to vacancies.

- 7. Filling of Duty Posts by Deputation (including short-term contract).**—Notwithstanding anything contained in regulation 6, where the NDMC is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission fill up not more than 5% of Duty Posts in the grade of Medical Officer/Senior Medical Officer in the General Duty sub-cadre and Specialist Grade-II (Junior Scale) in the Specialist sub-cadre by deputation of suitable officers holding analogous posts under the Central Government/State Government/Union Territories and by short-term contract of suitable officers holding analogous posts under the Statutory bodies, Autonomous bodies, Semi Government Organizations, Universities or Recognized Research Institutions. The deputation/contract shall be for a period not exceeding three years, which may, in special circumstances, be extended up to five years as the NDMC may think fit.

The qualifications, experience and eligibility service for appointment to any grade of the Service under this regulation shall be as indicated in Schedule-III or Schedule-V to these regulations.

- 8. Seniority.**—(1) The relative seniority of officers of Category 'A' appointed in the respective sub-cadre at the time of initial constitution under regulation 5, shall be as obtaining on the date of commencement of these regulations:

Provided that if the seniority of any Category 'A' officer had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the regulations governing the fixation of seniority as were applicable prior to the commencement of these regulations.

- (2) The seniority of officers other than those appointed under regulation 5 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.
- (3) The seniority of persons recruited in accordance with sub-regulation (5) of regulation 4 shall be fixed in the manner provided therein.
- (4) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the NDMC in consultation with the Commission.

- 9. Probation.**—(1) Every officer appointed by direct recruitment shall be on probation for a period of one year except in the case of Medical Officer appointed in the grade of Rs. 8,000—13,500, who shall be on probation for a period of two years :



Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of the period of probation of an officer shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, NDMC is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, NDMC may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the Grade under these regulations, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, officers may be required by the NDMC to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests as may be deemed fit as condition for satisfactory completion of probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the officers will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.
10. **Appointment to the Service.**—All appointments to the respective sub-cadre shall be made by the Controlling Authority.
11. **Posting.**—Officers appointed in respective sub-cadre shall be liable to serve anywhere in the jurisdiction of NDMC area.
12. **Private practice prohibited.**—(1) Persons appointed to respective Grades or Sub-cadre shall not be allowed private practice of any kind whatsoever, including any consultation and laboratory practice.  
(2) Such persons shall, however, be entitled to a non-practicing allowance at the rates specified in Schedule-I.
13. **Pension and other conditions.**—The conditions of service in respect of matters not expressly provided for in these regulations, shall mutatis mutandis and, subject to any special orders issued by the Council in respect of the two sub-cadres,

be the same as those applicable to officers of the New Delhi Municipal Council in general.

14. **Disqualification:**—No person,

- (a) who has entered into or contracted a marriage, with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the NDMC may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. **Power to relax.**—Where the NDMC is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission relax any of the provisions of these regulations in respect of any class or category of persons.

16. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Class and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

17. **Interpretation.**—If any question relating to the interpretation of these regulations arises, it shall be decided by NDMC in consultation with the Commission.

#### SCHEDULE-I

#### NDMCALLOPATHIC RECRUITMENT REGULATIONS, 2007

Grades, scales of pay etc., of Category 'A' posts.

#### I. Grade and Scales of Pay

S.No.	Grade	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)
<b>Specialist Sub-cadre</b>		
<b>1. Specialist Grade</b>		
(a)	Specialist Grade-I	Rs.14300-400-18300
(b)	Specialist Grade-II (Senior Scale)	Rs.12000-375-16500
(c)	Specialist Grade-II (Jr. Scale)	Rs.10000-325-15200

2625 DG/07-5



(1)	(2)	(3)
<b>2. General Duty Sub-cadre</b>		
(i) Chief Medical Officer (NFSG)	Rs.14300-400-18300	
(ii) Chief Medical Officer	Rs.12000-375-16500	
(iii) Senior Medical Officer	Rs.10000-325-15200	
(iv) General Duty Medical Officer	Rs. 8000-275-13500	

**II. Rate of Non-practising Allowance :**

25% of the basic pay subject to the condition that pay plus Non-practising Allowance does not exceed Rs. 29,500.

**III. Post Graduate Allowance :**

A Medical Graduate appointed to the post of Medical Officer or Senior Medical Officer or Chief Medical Officer including Chief Medical Officer (NFSG) for which possession of a recognized Post Graduate qualification is not essential, shall be given over and above the pay admissible in the relevant scale, post graduate allowance of Rs.300 p.m or Rs.500 p.m., as the case may be for possessing recognized Post Graduate diploma(s) or Post Graduate Degree(s) respectively specified in item No.III of Schedule I of CHS Rule-1982 and OM No.A-45011/4/-CHS-III dated the 16th October, 1985, OM No.A-45012/1/8-CHS-V dated the 24th August, 1987 and OM No.A-45012/13/97-CHS-V dated the 5th October 1998.

**SCHEDULE-II**

**Authorized strength of Medical Officers/Specialist in NDMC**

S.No.	Name of Post	No. of Post
(1)	(2)	(3)
<b>I. G.D.M.O. Cadre</b>		
Chief Medical Officer/ Senior Medical Officer/ Medical Officer	94 [includes CMO (NFSG) Not exceeding 15% of the Senior Duty Posts]	
<b>II. Specialist Cadre</b>		
Specialist Grade-I/Specialist Grade-II		23
* Pathology		
* Cardiology		
* Pediatrics		
* Orthopadies		
* E.N.T.		
* Anesthesiology		
* Gynecology		
* Chest & T.B.		
* Ophthalmology		
* Radio Diagnosis		
* General Surgery		
* General Medicine		
* Epidemiology		

Note : The number of posts will be subject to variation dependent on workload.

**SCHEDULE-III**

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or lower grades for appointment or promotion of officers to Category 'A' duty posts:

Sl. No.	Name of post and pay scales	Method of Recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion
1	2	3	4
<b>Specialist Sub-Cadre</b>			
01.	Specialist Gr.I (1st Class) Rs. 14300-18300	By promotion on Non-selection basis without linkage to vacancies.	Specialist Gr-II in the scale of Rs.12000-16500 with six years service or total of eight years combined regular service as Specialist Grade II in the scales of Rs. 10000-15200 and Rs.12000-16500 and minimum two years in the Grade of Rs. 12000-16500.
02.	Specialist Gr-II (2nd Class) Rs.12000-16500	By promotion	Specialist Gr.-II in the scale of Rs. 10000-15200 with two years regular service in the grade.
03.	Specialist Gr-II (2nd Class) (Jr. Scale) Rs.1 0000-15200	By direct recruitment	As in Schedule-V



1	2	3	4
<b>General Duty Sub-cadre:</b>			
01. Chief Medical Officer (NFSG) (Rs.14300-18300)	By promotion	Chief Medical Officer in the scale of (Rs.12000-16500) with five years regular service in the grade of CMO with fourteen years regular service in Category 'A' post in the cadre to the extent of 15% of the combined strength of senior duty posts of GDMO sub-cadre.	
02. Chief Medical Officer (Rs. 12000-16500)	By promotion on seniority-cum-fitness basis without linkage to vacancies.	Senior Medical Officer with six years regular service in the grade or completion of ten years regular service as GDMO and SMO of which at least two years shall be as Senior Medical Officer.	
03. Senior Medical Officer (Rs. 10000-15200)	By promotion on seniority-cum-fitness basis without linkage to vacancies.	General Duty Medical Officer with four years regular service in the Grade of Rs. 8000-13500.	
04. General Duty Medical Officer (Rs. 8000-13500)	By direct recruitment.	Through combined Medical Service Examination conducted by Union Public Service Commission.	

#### SCHEDULE - IV

**Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group 'A' post in NDMC.**

**Departmental Promotion Committee (for promotion)**

Sl. No.		
01.	Chairman/Member, UPSC	—Chairman
02.	Secretary, NDMC	—Member
03.	Financial Adviser, NDMC	—Member
04.	Medical Officer of Health/MS(CPH)	—Member

**(For Confirmation)**

S. No.		
01.	Secretary, NDMC	Chairman
02.	Financial Adviser, NDMC	Member
03.	Medical Officer of Health/MS (CPH)	Member
04.	Director (P), NDMC	Member

#### SCHEDULE-V

**Minimum Educational and other Qualifications, experience and age limit for direct recruitment to Group 'A' posts in NDMC as Medical Officer (Allopathy) :**

Sl. No.	Name of the post	Method	Age	Educational and other qualifications required
1	2	3	4	5
01.	Specialist Gr-II Rs. 10000-15200	Direct recruitment	Not exceeding 45 years (Relaxable for Govt. servant by 05 years in accordance with instructions issued by the Central Govt. and relaxable by 5 years for SC/ST and three years for OBC.	(a) A recognised medical qualification included in the first or second schedule or Part-II of the third schedule (other than licentiate qualifications) to the Indian Medical Council Act 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the

2625 D9/07-6

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

02. GDMO Gr.-II  
Rs. 8000-13500

Direct  
recruitment

Not exceeding 30  
years (Relaxable  
by 5 years for SC/ST  
and 3 years for OBC).

conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.

(b) Post Graduate degree/diploma in the concerned speciality mentioned in Schedule VI or equivalent.

(c) Three years experience in the concerned speciality after obtaining the post graduate degree or 5 years experience after obtaining the post graduate diploma.

(a) A recognized medical qualification included in the first or second schedule or Part-II of the third schedule (other than licensee qualifications) to the Indian Medical Council Act 1956. Holders of educational qualifications included in Part II of the Third Schedule should also fulfil the conditions stipulated in sub-section (3) of Section (13) of the Indian Medical Council Act, 1956.

(b) Completion of compulsory rotating internship. Candidates who may not have completed rotating internship shall be eligible to appear for the written examination provided that, if selected, they shall have satisfactorily completed the compulsory internship before appointment.

**Note 1 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh Division of J&K State, the Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

**Note 2 :** The qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the cases of candidates otherwise well qualified.

**Note 3 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the UPSC in the case of candidates belonging to SC and ST if, at any stage of selection, the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.



62

Note 4: In the case of recruitment to the post of Medical Officer on the basis of a written examination followed by interview the crucial date for reckoning the age limit shall be the first of January of the year in which the examination is held.

Note : 5 The qualifications granted in United Kingdom shall be recognised medical qualifications only when granted on or before 11-11-1978.

**SCHEDULE-VI**

Sl. No.	Subject	Section 'A' Requisite Post Graduate Degree qualification.	Section 'B' Requisite Post Graduate Diploma Qualification
1	2	3	4
1.	Pathology	M.D. (Pathology) or M.D. (Pathology and Bacteriology) or M.D. (Pathology with Bacteriology) or M.Sc. (Pathology) M.Sc. (Medical Pathology) Ph.D. (Pathology) D.Sc. (Pathology) Speciality Board of Pathology (USA).	D.C.P. D.P.B.
2.	Cardiology	D.M. (Cardiology)	
3.	Paediatrics	M.D. (Paediatrics)	Diploma Paed. D.C.H
4.	Orthopaedics	M.S. (Orthopaedics) M.Ch. (Orthopaedics) Speciality Board of Ortho. Surgery (USA).	Diploma in Orthopedics
5.	ENT.	M.S. (Oto-Rhino-Laryngology) Speciality Board of Laryngology (USA)	D.I.O. D.O.R.L.
6.	Anaesthesia	M.D. (Anaesthesiology) M.S. (Anaesthesiology) D.A. (Two Years Course) F.F.A.R.C.S. (By examination), Speciality Board of Anaesthesiology (USA).	D.A.
7.	Gynaecology	M.D. (Obstetrics & Gynae.) M.S. (Obstetrics & Gynae.) M.D. (Mid & Gynaecology) M.S. (Mid & Gynaecology) M.O. M.R.C.O.G. Speciality Board of Obstetrics & Gynaecology (USA)	D.G.O.
8.	Tuberculosis	M.D. (Tuberculosis) M.D./M.R.C.P. in Medicine With TDD, DTD or DTCD	T.D.D. D.T.D. D.T.C.D.
9.	Opthamology	M.S. (Opthamology) M.D. (Opthamology) Speciality Board of Opthamology (USA).	D.O. D.O.M.S.
10.	Radio Diagnosis	M.D. (Radio Diagnosis) or D.M.R.D. or equivalent diploma of two years duration.  Note : The persons who have done their MD in Radiology or Diploma in Radiology before 1985 will also be eligible to apply for the post of Radio Diagnosis.	D.M.R.D. or equivalent diploma of one year duration.

1	2	3	4
11. General Surgery		M.S. (Surgery) M.S. (General Surgery) Speciality Board of Surgery (USA) FRCS.	
12. General Medicine		M.D. (General) M.D. (General Medicine) M.D. (Med. & Therapeutics) M.R.C.P. Speciality Board of Internal Medicine (USA).	
13. Epidemiology		M.D. (Preventive & Social Medicines) or M.D. (Community Medicines) Speciality Board of Preventive Medicine (USA).	D.P.H. D.I.H. M.P.H. D.I.M. D.T.M. & H.

- Note 1:** Holders of Speciality Board of USA qualification should complete the entire requirements of the Board concerned.
- Note 2:** In so far as Post-graduate Medical qualifications awarded by Indian Universities are concerned, they should also find a place in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956, as amended from time to time.
- Note 3:** In terms of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) Notification No. V-11015/12/78-ME (Policy), dated 29-8-1978, the qualifications granted in United Kingdom shall be recognised medical qualification only when granted on or before 11th November, 1978.
- Note 4:** Holders of equivalent Post-graduate qualifications as are approved by the Medical Council of India from time to time will be considered to have requisite Post-Graduate qualification in the subject concerned.
- Note 5:** This list is not exhaustive. The Controlling Authority in consultation with the Union Public Service Commission shall have the power to assign other qualifications.

By Order,  
MANOJ KUMAR AGGARWAL, Dy. Secy.



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2] दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 2002/भाद्र 13, 1924 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 214  
No. 2] DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 2002/BHADRA 13, 1924 [N.C.T.D. No. 214

भाग—III  
PART—III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 सितम्बर, 2002

सं. एफ. 4(22)/2001-गूडी/12810. — नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 43 (1994 का अधिनियम 44) की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् ने भर्ती नियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श एवं संघ भारत सरकार, गृह मंत्रालय के क्रमांक यू. 14011/153/2000-दिल्ली-1, दिनांक 14-12-2000 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 3 (20) दिनांक 27-10-99 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में—1. निदेशकों जैसे-निदेशक (कार्मिक), निदेशक (सम्पदा), निदेशक (प्रवर्तन), निदेशक (कर), निदेशक (जांच), निदेशक (याणिष्य), निदेशक (शिक्षा), 2. उप-सचिव, 3. मुख्य लेखा परीक्षक, 4. निदेशक (जन-सम्पर्क), 5. निदेशक (उद्यान), 6. उप-निदेशक (उद्यान), 7. सहायक निदेशक (उद्यान), 8. आयुर्वेदिक चिकित्सक, 9. परिणित आयुर्वेदिक चिकित्सक, 10. मुख्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के पदों की भर्ती संबंधी विनियम संलग्न क्रमवार अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तथा 10 के अनुसार प्रकाशनार्थ तैयार किये हैं।

अनुसूची 1

फा. सं. 3/24 एन (1)/97—भर्ती नियम

निदेशक के पद हेतु भर्ती नियम

संस्थान का नाम : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

1. पद का नाम निदेशक

2776 DC/2002

(1)

Section Officer (HE-II)  
NDMC, Palka Kendra





(A)

4. निदेशक (उद्यान) नई दिल्ली  
नगरपालिका परिषद् —सदस्य
5. निदेशक (कार्मिक) नई दिल्ली  
नगर-पालिका परिषद् —सदस्य

8

14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए : संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं।

अनुसूची-8

फा० स० एफ-3/24 एन. (7)/97—भर्ती नियम

संस्थान का नाम : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद हेतु भर्ती नियम

पोस्ट कोड : 4701070199

1. पदनाम : आयुर्वेदिक चिकित्सक
2. पदों की संख्या : 6 (1999) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील
3. वर्गीकरण : वर्ग 'क'
4. वेतनमान (रुपये) : 8000-275-13500 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं बरीयता या गैर-चयनित पद है : लागू नहीं
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : 35 वर्ष से अधिक नहीं

(केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों के मामले में पाँच वर्षों की छूट)

नोट : भारत में प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये अंतिम तिथि आयु सीमा निर्धारित करने की प्रामाणिक तिथि मानी जाये और (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख क्षेत्र, लाहौल एवं स्पीती जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्पा जिले में पंगी उप-प्रभाग, अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के लिये निर्धारित तिथि अंतिम तिथि नहीं होगी)

7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है : नहीं
8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ : अनिवार्य

1. भारतीय औषधि केन्द्रीय काउंसिल एक्ट 1970 (1970 के 48) के अन्तर्गत मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद्/भारतीय औषधि संकाय से आयुर्वेद में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता।

2. भारतीय औषधियों के केन्द्रीय/राजकीय रजिस्ट्रार के पास नामांकन।

नोट : उच्च योग्यता प्राप्त आवेदकों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा योग्यता में छूट प्रदान की जा सकती है।

9. क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो : एक वर्ष





11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : सीधी भर्ती पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा हेतु अवकाश अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक अवकाश अवधि पर रहने से हुई रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकारों/संघ शासित प्रदेश विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त शोध संस्था सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्धसरकारी, स्वायत्तशासी अथवा सांविधि संस्थानों के अन्तर्गत अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी. आधार पर भरा जायेगा।
- (क) 1. नियमित आधार पर समकक्ष पद पर नियुक्ति पदधारी।  
2. 6500-10500 के वेतनमान पर 5 वर्षों की नियमित सेवा अथवा समकक्ष योग्यता।
- (ख) कालम 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु दी गई शैक्षणिक योग्यता रखता हो।
- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (अल्प अवधि अनुबंधों सहित) आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष; अधिक नहीं होगी।
12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति : संविलयन द्वारा भर्ती की जानी है तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा : लागू नहीं
13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है ? : विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि के लिये) :  
1. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् —अध्यक्ष  
2. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् —सदस्य  
3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली, नगर पालिका परिषद् —सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य।

## अनुसूची-9

फा० सं० एफ-3/24 एन (6)/97—भर्ती नियम

वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद के लिये भर्ती नियम

संस्थान का नाम : नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्

1. पदनाम : वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक
2. पदों की संख्या : 6 \*(1999) \*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील
3. वर्गीकरण : वर्ग 'क'
4. वेतनमान (रुपये) : 10000-325-15200 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं वरीयता या गैर-चयनित पद है : गैर चयनित
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं





- या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है : लागू नहीं
- सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ : लागू नहीं
- क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परिवीक्षा अवधि यदि कोई हो : कुछ नहीं
11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलयन & % द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता : सीधी भर्ती  
पदोन्नति
12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती की जानी है तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा : आयुर्वेदिक चिकित्सक के वेतनमान में 4 वर्षों की नियमित सेवा।  
नोट : जहाँ उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपनी-अपनी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है वहाँ उनके बरिष्ठ सहयोगियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाये, वरन्त, उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठों की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की अवधि की न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पद क्रम में अपने कनिष्ठों जिन्होंने पूर्व में ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।
13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है : विभागीय पदोन्नति समिति :  
1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष  
2. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् —सदस्य  
3. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् —सदस्य  
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली, नगरपालिका परिषद् —सदस्य
14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए : संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य।

## अनुसूची 10

फा० सं० एफ-3/24 एन (7)/97—भर्ती नियम

मुख्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद के लिये भर्ती नियम

संस्था का नाम : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

1. पदनाम : मुख्य आयुर्वेदिक चिकित्सक
2. पदों की संख्या : 1\*(1999) \*कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील
3. वर्गीकरण : वर्ग 'क'
4. वेतनमान (रुपये) : 12000-375-16500 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं बरीयता या गैर-चयनित पद है : गैर चयन
6. सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा : लागू नहीं





qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. If a DPC exists what is its composition

CATEGORY B DPC (FOR PROMOTION/CONFIRMATION)

- i) SECRETARY, NDMC - CHAIRMAN
- ii) DIRECTOR (FIN)-MEMBER
- iii) DIRECTOR (VIG.)-MEMBER
- iv) DIRECTOR (HORT)-MEMBER
- v) DIRECTOR (P)-MEMBER.

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.

Consultation with UPSC not necessary

Annexure -VIII

File No.3/24N(7)/97-RR

**Recruitment Rules for the post of : AYURVEDIC PHYSICIAN**

Department : NDMC

Post Code : 4701070199

*Delh. Gazette Extraordinary No. 2  
Sec. Wednesday September 04, 2002 / Bhadrak 13, 1924.  
N.C.T.D. No. 214 Part III*

1. Name of the Post
2. No. of Post.
3. Classification
4. Scale of Pay (Rs.)
5. Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post
6. Age limit for direct recruits

AYURVEDIC PHYSICIAN

6 (1999)

SUBJECT TO VARIATION DEPENDENT ON WORKLOAD.

Category 'A'

8000-275-13500

+ NPA Admissible as per orders.

N.A.

Not exceeding 35 years

Relaxable for Govt. Servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government.

NOTE: The crucial date for determining age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam

2776-DL-2002-5





,Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram  
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh  
Division of J&K State, Lahaul and Spiti Distt.  
and Pangi Sub Division of Chamba District of  
Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar  
Island or Lakshdweep).

7. Whether benefit of added years of  
service admissible

No

8. Educational and other qualifications  
Required for direct recruits

ESSENTIAL:

(i) A degree in Ayurveda of a  
recognised University/statutory  
State Board/Council/Faculty of  
Indian Medicine or equivalent  
recognised under the Indian  
Medicine Central Council Act,  
1970 (48 of 1970)

(ii) Enrolment on the Central or State  
Register of Indian Medicine.

NOTE: Qualifications are relaxable at the  
discretion of the UPSC in case of  
candidates otherwise well qualified.

9. Whether Age & EQ prescribed for  
direct recruits will apply in the case of  
promotees

N.A.

10. Period of Probation, if any

1 year

11. Method of Recruitment, whether by  
direct Rectt. or by promotion or by  
deputation/absorption and % of the  
post to be filled by various methods.

DIRECT RECRUITMENT:

Vacancies caused by the incumbent being  
away on deputation or long illness or study  
leave or under other circumstances for a  
duration of one year or more may be filled up  
by the appointing authority on deputation  
(ISTC) basis from officers under the Central /  
State Government/Uts/Universities/Recognised  
Research Institutions/Public Sector  
Undertakings/Semi-Government, Autonomous  
or statutory organisation:

(a)(i) Holding Analogous posts on regular  
basis; OR

(ii) With 5 years' regular service in posts in the  
scale of Rs.6500-10500 or equivalent; and  
(b) Possessing the educational qualifications  
prescribed for direct recruits under column 8.





(8)

(The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications).

In case of Rectt. by promotion /deputation/absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.

N.A.

13. If a DPC exists what is its composition DPC (FOR CONFIRMATION)

1. SECRETARY,NDMC-CHAIRMAN
2. F.A.,NDMC – MEMBER
3. MOH,NDMC-MEMBER

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment. CONSULTATION WITH UPSC NECESSARY.

### Annexure –IX

File No.3/24N(6)/97-RR

### Recruitment Rules for the post of :SENIOR AYURVEDIC PHYSICIAN

Department :NDMC

Post Code :

1. Name of the Post SR.AYURVEDIC PHYSICIAN
2. No. of Post. 6(1999)  
Subject to variation dependent on workload
3. Classification Category 'A'
4. Scale of Pay(Rs.) 10000-325-15200  
+NPA admissible as per orders.
5. Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post Non-selection
6. Age limit for direct recruits N.A.
7. Whether benefit of added years of service admissible N.A.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits N.A.





- Whether Age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees N.A.
10. Period of Probation, if any Nil
11. Method of Recruitment, whether by direct Rectt. or by promotion or by deputation/absorption and % of the post to be filled by various methods. PROMOTION
12. In case of Rectt. by promotion /deputation/absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made. PROMOTION:  
Ayurvedic Physician with four years regular service in the grade.
- NOTE: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying / eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.
13. If a DPC exists what is its composition DPC (FOR PROMOTION)  
(1)CHAIRMAN/MEMBER,UPSC-CHAIRMAN  
(2)SECRETARY,NDMC-MEMBER  
(3)F.A.,NDMC-MEMBER  
(4)MOH,NDMC-MEMBER
14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment. Consultation with UPSC necessary.

**Annexure -X**

File No.3/24N(7)/97-RR

**Recruitment Rules for the post of :CHIEF AYURVEDIC PHYSICIAN**

Department :NDMC

Post Code :

1. Name of the Post CHIEF AYURVEDIC PHYSICIAN
2. No. of Post. 01 (1999) Subject to variation dependent on workload.





ation	CATEGORY 'A'
of Pay(Rs.)	12000-375-16500 + NPA admissible as per orders.
Whether selection by merit or selection-cum seniority or non-selection post	Non-selection
Age limit for direct recruits	N.A.
7. Whether benefit of added years of service admissible	N.A.
8. Educational and other qualifications required for direct recruits	N.A.
9. Whether Age & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	N.A.
10. Period of Probation, if any	Nil
11. Method of Recruitment, whether by direct Rectt. or by promotion or by deputation/absorption and % of the post to be filled by various methods.	PROMOTION
12. In case of Rectt. by promotion /deputation/absorption grades from which promotion/ deputation / absorption to be made.	PROMOTION  Senior Ayurvedic Physician with five years' regular service in the grade failing which Senior Ayurvedic Physician with 9 years combined regular service in the grades of Senior Ayurvedic Physician and Ayurvedic Physician out of which two years regular service should be in the grade of Senior Ayurvedic Physician.

NOTE: where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite/qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.





If a DPC exists what is its composition DPC (FOR PROMOTION):

1. CHAIRMAN/MEMBER, UPSC - CHAIRMAN
  2. SECRETARY, NDMC - MEMBER
  3. F.A., N.D.M.C - MEMBER
  4. MOH, NDMC - MEMBER
- Consultation with UPSC necessary.

14 Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.

For and on Behalf of the Lt Governor of  
National Capital Territory of Delhi,  
A.S. KHULLAR, Addl. Secy.

2 SECRETAR

3 F.A., N.D.M.C

4 MOH, NDMC



# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271  
No. 271

दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2002/श्रावण 15, 1924  
DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2002/SRAVANA 15, 1924

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 191  
[N.C.T.D. No. 191

भाग—III

PART—III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अगस्त, 2002

फा. सं. 4(22)/2001-यू.डी./11528.—नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 43 (1994 का अधिनियम, 1994 का अधिनियम (1) के खण्ड (ग) में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिषद् ने (फाइल संख्या एफ-3/24 एन(6)/97 तथा फाइल संख्या एफ-3(1)/98 भर्ती नियम के द्वारा) संघ लोक सेवा आयोग, के परामर्श एवं संघ भारत सरकार, गृह मंत्रालय के क्रमांक यू. 14011/153/2000-1 दिनांक 14-12-2000 के अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 3 (20) दिनांक 27-10-99 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन से नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् में होम्योपैथिक चिकित्सक, वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक, मुख्य होम्योपैथिक चिकित्सक, प्राचार्य तथा मुख्य अभियंता (सिविल) के पदों की भर्ती संबंधी विनियम संलग्न अनुसूची के अनुसार तैयार किये हैं।

अनुसूची-1

फा. सं. एफ-3/24-एन(6)/97-भर्ती नियम

होम्योपैथिक चिकित्सक हेतु भर्ती नियम

पत्राचार का नाम: नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्

फाइल सं. 4701060199

2470 83 2002

(1)



1. पद नाम : होम्योपैथिक चिकित्सक
2. पदों की संख्या : 06 \* (1999) \* कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील
3. वर्गीकरण : वर्ग 'क'
4. वेतनमान (रुपये) : 8000-275-13500 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता
5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं वरीयता या गैर-चयनित पद है : लागू नहीं होता
6. सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा : 35 वर्ष से अधिक नहीं  
केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा निर्देशों के अनुसार सरकारी क पांच वर्ष की छूट।

नोट : भारत में प्रत्याशियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिये अंतिम सीमा निर्धारित करने की प्रामाणिक तिथि मानी जाये और (असम, मेघाल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-मश्मीर राप् क्षेत्र, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में पों अंडमान एवं निकोबार द्वीप अथवा लक्षद्वीप के लिए निर्धारित तिथि अ होगी) EXTRAORDINARY

7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है : नहीं
8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : अनिवार्य :  
1. होम्योपैथिक सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1973 (1973 का 59) के अन्तर्गत विरुद्धविद्यालय सांविधिक राज्य बोर्ड/परिपद से होम्योपैथी में डिग्री अ

क्या या चयन एवं वरीयता या

2. होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्ट्रार अथवा होम्योपैथी के राजकीय नामांकन।

नोट : इस योग्यता प्राप्त प्रत्याशियों के मामले में संघ लोक सेवा कर सकता है।

9. क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी

लागू नहीं

10. परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो

एक वर्ष

11. भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संवित्तिन द्वारा एवं क्या पद विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरा जाना है

सीधी भर्ती पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर बाहर जाने अथवा लम्बी बीमारी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या अधिक अवधि के रिक्तियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार के अथवा विद्यालयों/मान्यता प्राप्त शोध संस्थानों/अध्यापकों/अध्यापिकाओं/अथवा सांविधिक संस्थानों के अध्यक्षों/अध्यिकाओं से प्रतिनियुक्ति आधार पर निम्न अनुसार भरा जाये

(क)

1. नियमित आधार पर समकक्ष पदधारी।
2. रु. 6500-10500 के वेतनमान पर 5 वर्षों की नियमित योग्यता।



(ख)

कानून 8 के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु दी गई शैक्षणिक योग्यताएं रखता हो। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा (अल्पअवधि अनुबंधों सहित) आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती की जाती है, तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा

: लागू नहीं

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है

: विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टि हेतु):

1. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

—अध्यक्ष

2. वित्तिय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

—सदस्य

3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

—सदस्य

14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए

: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।

अनुसूची-2

यस से एक 3/24-एच(6)/97-भर्ती नियम

सरिण्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के पद के लिए भर्ती नियम

स्थान का नाम : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद

रजिस्ट्रेशन नंबर-4701060299

1. पद का नाम

: सरिण्ड होम्योपैथिक चिकित्सक

2. पदों की संख्या

: 06 (1999) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील

3. वर्गीकरण

: वर्ग 'क'

4. वेतनमान (रुपये)

: 10000-325-75200 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं बरीयता या गैर-चयनित पद है।

: गैर-चयनित

6. सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा

: लागू नहीं

7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है

: लागू नहीं

8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं

: लागू नहीं

9. क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी

: लागू नहीं

10. परीक्षा अवधि यदि कोई हो

: कुछ नहीं

11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाला पद

: पदोन्नति

12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा भर्ती के मामले में किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा

पदोन्नति :-

होम्योपैथिक चिकित्सक के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा नोट : जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपनी-अपनी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। उनके वरिष्ठ सहयोगियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाये, बशर्ते, उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठ की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की अवधि की न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पदक्रम में अपने कनिष्ठ जिन्होंने पूरे में ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ व्यवहार परीक्षा अर्थात् सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) :-

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग
2. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
3. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

—अध्य

—सद

—सद

—स

14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।

फा. सं. एफ-3/2-एन(6)/97- भर्ती नियम

मुख्य होम्योपैथिक चिकित्सक के पद के लिए भर्ती नियम

संस्थान का नाम: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

पोस्ट कोड-4701060399

1. पद का नाम

2. पदों की संख्या

3. वर्गीकरण

4. वेतनमान (रुपये)

5. क्या चयन योग्यता या ज्ञान एवं वरीयता या गैर-चयनित पद है

6. सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा

7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है

8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं

विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिए) :-

मुख्य होम्योपैथिक चिकित्सक

01 (1999) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील

का 'क' 12000-375-16500 जमा प्रैक्टिस बन्दी भत्ता

गैर-चयनित पद से परामर्श

: लागू नहीं

: लागू नहीं

: लागू नहीं



क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती  
हनु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू  
होगी।

: नहीं।

10. प्रशिक्षण अवधि यदि कोई हो

: कुछ नहीं।

11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या  
पदोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/संविलयन द्वारा  
अथवा अन्य पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाला  
पद।

: पदोन्नति।

12. यदि पदोन्नति/प्रतिनिधित्व/संविलयन द्वारा भर्ती  
की जाती है, तो किस पद क्रम से पदोन्नति/  
प्रतिनिधित्व/संविलयन किया जाएगा।

: मुख्य होम्योपैथिक चिकित्सक के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा। ऐसा न  
होने पर वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक के पद पर तथा होम्यो. चिकित्सक के  
पद पर 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा और इस में वरिष्ठ होम्यो. चिकित्सक के वेतन-  
मान में दो वर्ष की नियमित सेवा होनी चाहिए।

नोट : जहाँ उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने  
अपनी-अपनी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। उनके वरिष्ठ सहयोगियों पर  
भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाये, बशर्ते, उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठों  
की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की  
अवधि की न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पदक्रम में अपने कनिष्ठों  
जिन्होंने पूर्व में ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि  
सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो  
उसका गठन कैसा है।

: विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के लिये) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग।

—अध्यक्ष

2. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्।

—सदस्य

3. विनोय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्।

—सदस्य

4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी,

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्।

—सदस्य

14. किस परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा  
आयोग से परामर्श किया जाए।

: संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।

अनुसूची-4

1. संघ लोक सेवा आयोग (4)/97-भर्ती नियम

2. नगरपालिका के पद हेतु भर्ती नियम

3. नगरपालिका परिषद्, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

4. संघ लोक सेवा आयोग (4)/97-भर्ती नियम

5. नगरपालिका

: प्रधानाचार्य

6. नगरपालिका

: 05 (1999) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील

7. नगरपालिका

: वर्गिक

8. नगरपालिका (संपर्क)

: 10000-325-15200

9. नगरपालिका योग्यता या चयन एवं बरीयता या

: चयन एवं बरीयता

10. नगरपालिका पद है।



6. सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा : लागू नहीं
7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वाकार्य है : लागू नहीं
8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं : लागू नहीं
9. क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी : लागू नहीं
10. परीक्षा अवधि यदि कोई हो : दो वर्ष
11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलयन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाला पद : पदोन्नति न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा
12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति संविलयन द्वारा भर्ती की जानी है, तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलयन किया जाएगा : पदोन्नति

उप-प्रधानाचार्य/उप-शिक्षा अधिकारी के वेतनमान में 6 वर्षों की नियमित सेवा और मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष।  
नोट : जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपनी अपनी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। उनके वरिष्ठ सहयोगियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाये, बशर्ते, उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठों की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की अवधि को न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पदक्रम में अपने कनिष्ठ जिन्होंने पूर्व में ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अपनी परीक्षा अथवा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

#### प्रतिनियुक्ति

केन्द्र/राज्य सरकार के अन्तर्गत अधिकारिगण

(अ)

1. नियमित आधार पर समान पदधारक अथवा
2. 8000-13500 रुपये के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा या सम
3. 7500-12000 रुपये के वेतनमान में 6 वर्षों की नियमित सेवा या समकक्ष

(ब) निम्न शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव रखता हो

1. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री अथवा सम
2. किसी विद्यालय/कॉलेज में शिक्षक का 2 वर्षों का अनुभव

(संभरण श्रेणी में विभागीय अधिकारी के पदोन्नति सीधी होनी है, उन पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति अधिकारियों पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जायेगा।)

(केन्द्रीय सरकार के इसी तरह के आदेशों के अन्तर्गत इस नियुक्ति से तत्काल अन्य एक केन्द्र, भेद पर प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की तुलना सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के द्वारा नियुक्ति हेतु आयु सीमा आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तिथि को 56 वर्ष से अधिक न



-759-

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है

वर्ग 'क' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति हेतु) :

1. अध्यक्ष/अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग

—अध्यक्ष

2. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

—सदस्य

3. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

—सदस्य

4. संबंधित विभागाध्यक्ष,

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

—सदस्य

14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा परामर्श किया जाए

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अनिवार्य।

मुख्य अभियन्ता (सिविल) के पद के लिये भर्ती नियम

फा. सं. 3/24-एन(1)/98-भर्ती नियम

संस्थान का नाम: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

पद कोड-4701010198

1. पद नाम

: मुख्य अभियन्ता (सिविल)

2. पदों की संख्या

: 02 (2000) कार्यभार के अनुसार परिवर्तनशील

3. वर्गीकरण

: वर्ग 'क' — राजपत्रित

4. वेतनमान (रुपये)

: 16400-450-20000

5. क्या चयन योग्यता या चयन एवं खरीदता या गैर-चयनित पद है।

: योग्यता के आधार पर चयन

6. सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा

: लागू नहीं

7. क्या सेवा में जोड़ी गई अवधि का लाभ स्वीकार्य है।

: लागू नहीं

8. सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएं

: लागू नहीं

9. क्या पदोन्नत व्यक्ति के मामले में सीधी भर्ती हेतु नियत आयु एवं शैक्षिक योग्यता लागू होगी

: लागू नहीं

10. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

: कुछ नहीं

11. भर्ती की प्रक्रिया, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/संविलियन द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाला पद

: पदोन्नति द्वारा अन्यथा अन्य अवधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा

12. यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति संविलियन द्वारा भर्ती की जानी है, तो किस पद क्रम से पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविलियन किया जाएगा

: पदोन्नति :—

अधीक्षक अभियन्ता (सिविल) के वेतनमान में दो वर्ष की नियमित सेवा के साथ

नोट : जहां उन कनिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति पर विचार किया जाता है जिन्होंने अपनी-अपनी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि पूर्ण कर ली है। उनके वरिष्ठ सहयोगियों पर भी पदोन्नति हेतु विचार किया जाये, बशर्ते, उनकी अपेक्षित मान्य/ग्राह्य सेवा कनिष्ठों की ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा अवधि से आधी या दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम की अवधि की



न हो तथा उन्होंने पदोन्नति हेतु आगामी उच्चतर पदक्रम में अपने कनिष्ठों जिन्होंने पूर्व ऐसी मान्य/ग्राह्य सेवा पूर्ण कर ली है, के साथ अपनी परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित)

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्यों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त या सार्वजनिक संस्थाओं के अधिकारीगण जो :—

(क)

1. नियमित आधार पर समान पदधारी

या

2. 14300—18300 रुपये के वेतनमान वाले पद पर हो या जो नियमित सेवा या समकक्ष योग्यता

या

3. 12000—16500 रुपये के वेतनमान वाले पद पर हो या जो नियमित सेवा या समकक्ष योग्यता

या

(ख) सिविल इंजीनियरिंग कार्यों में 14 वर्षों के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष।

संभरण संवर्ग में विभागीय अधिकारी, जो सीधे ही पदोन्नति के हकदार हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति वाले अधिकारीगण भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति पर विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(किसी अन्य संस्थान/केन्द्रीय सरकार के विभाग या अपनी नियुक्ति वाले विभाग में इ नियुक्ति से तत्काल पहले किसी अन्य बाह्य संवर्ग (एम्पल कैडर) पद पर

प्रतिनियुक्ति/अनुबंध को अवधि सहित प्रतिनियुक्ति अनुबंध की अवधि सामान्यतः ती

वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि अनुबंध सहित) द्वारा नियुक्ति

लिये आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं हो

गर्ह्य।

वर्ग क विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति समिति)

1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग — अध्यक्ष

2. सचिव, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद — सद

3. वित्तीय सलाहकार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद — सद

13. यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है, तो इसका गठन कैसा है

14. किन परिस्थितियों में भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाए

नियुक्ति के प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य।

उपराज्यपाल रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार की ओर  
ए.एम. खुल्सरा, अति. सच.

# URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

## NOTIFICATION

Delhi the 6th August, 2002

No. F-4(22)/2001/UD/11452.—The following recruitment regulations made by the New Delhi Municipal Council New Delhi under clause (C) sub-section (1) of section 43 of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (44 of 1994) its Resolution No. 3 (XXI) (3-2-2000 and after consultation with the Union Public Service Commission as required in



Section 21 of section 43 of the said Act, in connection with the recruitment to the post of (i) Homoeopathic Physician, (ii) Homoeopathic Physician, (iii) Chief Homoeopathic Physician, (iv) Principal, (v) Chief Engineer (Civil) in the New Delhi Municipal Council, New Delhi having been approved by the Central Government, Ministry of Home Affairs vide No. C-14011/153/2000-Delhi dated the 14th December, 2000 under the provisions sub-section (2) of section 387 of the said Act are hereby published respectively in Schedules, I, II, III, IV and V respectively as annexed hereto:

SCHEDULE I

File No. 3/34N(6)/97-RR

Recruitment Rules for the post of HOMOEOPATHIC PHYSICIAN

Department: NDMC

Post Code: 4701060199

1. Name of Post	HOMOEOPATHIC PHYSICIAN
2. No. of Posts	6 (1999) Subject to variation dependent on workload
3. Classification	CATEGORY 'A'
4. Scale of Pay (Rs.)	8000-275-13500 NPA admissible as per orders.
5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post	N.A.
6. Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years

Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India, (and not the closing date prescribed to those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Whether benefit of added yrs. of service admissible

No

7. Educational and other qualification required for direct recruits

ESSENTIAL

(i) Degree in Homoeopathy of a recognized University/Statutory State Board/Council or equivalent recognized under the Homoeopathic Central Council Act, 1973 (59 of 1973).

(ii) Enrolment on the Central register of Homoeopathy or a State register of Homoeopathy.

Note: Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age period and EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees

N.A.

Period of Prob. if any

1 year

11. Method of Recrt. whether by direct Recrt. or by promotion or by deputation/absorption and of the post to be filled by various methods.

Direct Recruitment  
Vacancies caused by the incumbent being away on deputation long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled up by the appointing authority on deputation (ISTC) basis from officers under the Central/State Govts./Universities/Recognised Research Institution/Public Sector Undertakings/Semi Govt., Autonomous or Statutory Organisations :-

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis, or  
(ii) With 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 6500-10500 or equivalent; and  
(b) Possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column 8.

(The maximum age limit for appointment by deputation including short-term contract, shall be not exceeding 56 years as on closing date of the receipt of applications.)

12. In case of Recrt. By promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made

13. If a DPC exists, what is its composition

DPC (FOR CONFIRMATION)  
1. Secretary, NDMC—Chairman  
2. F.A., NDMC—Member  
3. MOH, NDMC—Member

Consultation with UPSC necessary

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

## SCHEDULE II

### SENIOR HOMOEOPATHIC PHYSICIAN

short-term contract shall be for a period of 6 (1999) Subject to variation dependent on workload.

### CATEGORY 'A'

10000-325-15200  
NPA admissible as per orders

Non-selection

1. Name of Post
2. No. of Posts
3. Classification
4. Scale of Pay (Rs.)
5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
6. Age limit for direct recruits
7. Whether benefit of added years of service admissible

N.A.

MOH, NDMC—Member

N.A.

Consultation with UPSC necessary

## SCHEDULE III



Authority  
for  
work

8 Educational and other qualification required for direct recruits N.A.

Whether age period & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. N.A.

10 Period of Probation, if any NIL

11 Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/absorption and of the post to be filled by various methods. PROMOTION

12 In case of rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made. PROMOTION:  
Homoeopathic Physician with 4 years regular service in the grade

Note : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a DPC exists what is its composition.

DPC (FOR PROMOTION)

1. Chairman/Member UPSC—Chairman
  2. Secretary, NDMC—Member
  3. F.A., NDMC—Member
  4. MOH, NDMC—Member
- Consultation with UPSC necessary.

Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.

### SCHEDULE-III

File No. 3-25(6)/97-RR

Recruitment Rules for the post of **CHIEF HOMOEOPATHIC PHYSICIAN**

Department : NDMC

Post Code : 4701060399

1. Name of Post
2. No. of Post
3. Classification
4. Scale of Pay (Rs.)
5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post

**CHIEF HOMOEOPATHIC PHYSICIAN.**

1\* (1999)

\*Subject to variation dependent on workload.

Category 'A'

12000-375-16500 + NPA admissible as per orders.

Non-selection.



6. Age limit for direct recruits : N.A.
7. Whether benefit of added years of service admissible : N.A.
8. Educational and other qualification required for direct recruits : N.A.
9. Whether age period & EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. : N.A.
10. Period of Probation, if any : NIL
11. Method of rectt. whether by direct rectt. or by promotion or by deputation/absorption and of the post to be filled by various methods. : PROMOTION

12. In case of rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

PROMOTION:

Senior Homoeopathic Physician with 5 years regular service in the grade failing which Sr. Homoeopathic Physician with 9 years combined regular service in the grade of Sr. Homoeopathic Physician out of which two years regular service should be in the grade of Sr. Homoeopathic Physician.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would be considered provided, they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

13. If a DPC exists what is its composition.

DPC (FOR PROMOTION)

NIL

1. Chairman/Member, UPSC—Chairman

2. Secretary, NDMC—Member

3. F.A., NDMC—Member

4. MOH, NDMC—Member

Consultation with UPSC necessary.

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.

SCHEDULE-IV

Should be in the grade of Sr. Homoeopathic Physician

Note: Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would be considered provided, they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed the probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

5. (1999) Subject to variation dependent on workload.

CATEGORY 'A'

File No. 3/24H(4)/97-RR

Recruitment Rules for the post of PRINCIPAL

Department NDMC

Post Code : 4701040197

1. Name of Post

2. No. of Post

3. Classification

PRINCIPAL

5. (1999) Subject to variation dependent on workload.

CATEGORY 'A'

1. Chairman/Member, UPSC—Chairman

2. Secretary, NDMC—Member

3. F.A., NDMC—Member

4. MOH, NDMC—Member

Consultation with UPSC necessary.



4. Scale of Pay (Rs.) 10000-325-15200
5. Whether selection by merit or selection-cum seniority or non selection post Selection cum-seniority
6. Age limit for direct recruits. N.A.
7. Whether benefit of added yrs. of service admissible. N.A.
8. Educational and other qualification required for direct recruits. N.A.
9. Whether age period and EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. N.A.
10. Period of prob., if any 2 Years
11. Method of Reclt. whether by direct Reclt. or by promotion or by deputation/absorption & of the post to be filled by various methods. Promotion failing which by Deputation
12. In case of Reclt. by promotion/ deputation/absorption grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.

#### Promotion :

Vice Principal/Dy. Education Officer with 6 years regular service in the grade and possessing Post Graduate Degree with Degree in Education from a Recognised University or equivalent.  
Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided, they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

#### Deputation :

Officers of the Central/State Govt. :—

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis ; or
- (ii) With 5 years' regular service in posts in the scale of Rs. 8000-13500 or equivalent; or
- (iii) With 6 years regular service in posts in the Scale of Rs. 7500-12000 or equivalent; and
- (b) POSSESING FOLLOWING EDUCATIONAL QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE :

- (i) Master's Degree with Degree in Education from a Recognised University or Equivalent
- (ii) 5 years Teaching Experience in a School/College.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for a appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another Cadre post held immediately preceding this appointment the so or some other organization of the Central Government shall not exceed three years. The maximum age limit for appointment deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date the receipt of the application).

13. If a DPC exists what is its composition.

- Group 'A' (for Considering promotion):
1. Chairman/Member UPSC—Chairman
  2. Secretary NDMC—Member
  3. Financial Advisor, NDMC—Member
  4. HOD, Concerned—Member.
- Consultation with UPSC necessary.

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

### SCHEDULE V

File No. 3/24N(1)/98-RR

Recruitment Rules for the post of Chief Engineer Civil

Department: NDMC

Post Code : 4701010198

1. Name of Post
2. No. of Post
3. Classification
4. Scale of Pay (Rs.)
5. Whether selection by merit or selection-cum-seniority or non-selection post
6. Age limit for direct recruits
7. Whether benefit of added yrs. of service admissible
8. Educational and other qualification required for direct recruits
9. Whether age period and EQ prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees post of Chief Engineer Civil
10. Period of Prob. If any
11. Method of Rectt. whether by direct Rectt. or by promotion or by deputation/absorption and of the post to be filled by various methods.
12. In case of Rectt. by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made.

CHIEF ENGINEER (CIVIL)

2 (2000) Subject to variation dependent on workload

Category: At the application

16,400-450-20,000

Selection by merit

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Nil

Promotion failing which by Deputation including short term contract.

Promotion

Superintending Engineer (Civil) with 2 years regular service grade.



Note : Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service

**Deputation : (Including Short Terms contract) :**

Officers under the Central/State Govt./UTs./Universities/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Govt./Autonomous or Statutory Organisations :—

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis: or
- (ii) With 2 years' regular service in posts in the scale of Rs. 14300-18300 or equivalent; or
- (iii) With 7 years' regular service in posts in the Scale of Rs. 12000-16500 or equivalent; and
- (b) Possessing a degree in Civil Engineering from a Recognized University or Equivalent with 14 years' experience in Civil Engineering Works.

(The departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for a appointment by promotion).

[Period of deputation/contract including period of deputation contract in another Ex-Cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of the application]

13. If a DPC exists what is its composition

**Group 'A' (for Considering promotion) :**

- 5. Chairman Member UPSC —Chairman
- 6. Secretary NDMC. —Member
- 7. Financial Advisor, NDMC —Member
- 8. HOD, concerned. —Member

14. Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment

Consultation with UPSC necessary on each occasion.

For and on Behalf of the Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,

A. S. KHULLAR, Addl. Secy.

